BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
OA No. 104/2025(CZ)

IN THE MATTER OF:

KAMAL CHANDANI …………APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. ……….RESPONDENT

INDEX

SR.	PARTICULARS	Annexure	PAGE
1.	Joint Committee Report submitted in compliance of order dated 22.07.2025 passed by the Hon'ble NGT(CZ)		1-113
2.	Proof of Service		114

Date: 10.10.2025

Place: Bhopal

Submitted by MPPCB:-

through Counsel

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

JOINT COMMITTEE REPORT

IN THE MATTER OF

Hon'ble NGT O.A. 104/2025 (CZ)

(Earlier O.A. No. 334/2025-PB)

(Kamal Chandani V/s State of Madhya Pradesh and Ors.)

Date of Inspection: - 06.10.2025

By

Joint Committee Members

1. Mr. Milind Kumar Nimje, Scientist-C, Regional Directorate, Central Pollution Control Board, Bhopal (M.P)
2. Mrs. Reeta Daheriya, Joint Collector, Distt.- Umaria (M.P.) [Representative of District Collector, Distt.-Umaria (M.P.)]
3. Mr. Mukesh Shrivastava, Regional Officer, M.P Pollution Control Board, Regional Office Shahdol, Distt.-Shahdol (M.P)

Index

NGT Case OA 104/2025 (CZ)
Date 06/10/2025

S. No.	Name Of The Document	Annexure No.	Page No.
01	Joint Committee Inspection report		3-13
02	Copy of Hon'ble NGT Order	Annexure-1	14-17
03	Copy of Official Order Related To Nomination	Annexure-2	18-21
04	Letter issued by MPPCB, Regional Office, Shahdol to applicant and Project proponent	Annexure-3	22
05	Copy of Attendance sheet during visit	Annexure-4	23-25
06	Copy of mining lease document of Nowrozab ad UG coal Mine	Annexure-5	26-38
07	Copy of Consent to Operate valid upto 31.07.2026	Annexure-6	39-47
08	Copy of Statement by Mr. Kamal Chandani	Annexure-7	48-
09	Copy of the documents given by SECL, Johilla Area regarding encroachment on the land of SECL	Annexure-8	49-97
10	Information provided by SECL, Johilla Area	Annexure-9	98-105
11	Copy of Air Monitoring analysis report conducted by MPPCB.	Annexure-10	106-107
12	Last 6 months CAAQM data (April to September 2025) given by SECL, Johilla Area	Annexure-11	108-113

JOINT COMMITTEE REPORT

In The Matter of

Hon'ble NGT O.A. 104/2025 (CZ)
(Earlier O.A. No. 334/2025-PB)
(Kamal Chandani V/s State of Madhya Pradesh and Ors.)

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi has passed an order on 22.07.2025 in the original application no. 334/2025. The main operating parts of the directions of the order are as follows:

6. *In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Central Pollution Control Board, Madhya Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Umaria and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned project proponents, verify the factual position and submit report suggesting appropriate remedial action. The Maharashtra State Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.*
7. *Even though in the present case cognizance has been taken by this Bench on the basis of letter petition received by post with approval and assignment under order of Hon'ble Chairperson, but in view of the facts and circumstances of the case including the fact that the place of accrual of cause of action lies within jurisdiction of the Central Zone Bench of this Tribunal at Bhopal we are of the considered view that it will be appropriate if the case is further heard by the Central Zone Bench of this Tribunal at Bhopal.*

Copy of order enclosed. [Annexure-1]

Accordingly, committee members are deputed to inspect the site.

1. Mr. Milind Kumar Nimje, Scientist-C, Regional Directorate, Central Pollution Control Board, Bhopal (M.P)
2. Mrs. Reeta Daheriya, Joint Collector, Distt.- Umaria (M.P.) [Representative of District Collector, Distt.-Umaria (M.P.)]
3. Mr. Mukesh Shrivastava, Regional Officer, M.P Pollution Control Board, Regional Office Shahdol, Distt.-Shahdol (M.P)

Above official order related to nomination are enclosed. [Annexure-2]

MPPCB, Regional Office, Shahdol issued letter dated 26.09.2025 to the applicant and project proponent (SECL, Johilla Area) [Annexure-3]. The Joint Committee visit was conducted on 06.10.2025. During the visit of Joint Committee at Nowrozabad Railway siding and main market, Nowrozabad along with applicant and SECL, Johilla Coal Area Officials and local administration. Following are the names of officials:-

1. Shri Abhayanand Sharma, Tehsildar Nowrozabad.
2. Shri Shivram Idpache, Sub Engineer, Nagar Parishad Nowrozabad.
3. Shri Y. Seenaiah, Sub Area Manager, SECL, Johilla Coal Area
4. Shri Rahul Jatav, Environment Manager, SECL, Johilla Coal Area
5. **Shri Kamal Chandani, Applicant.**

Copy of Attendance sheet during visit is enclosed. [Annexure-4]

General Information about SECL, Johilla Coal Area :-

Present Complaint is related to South Eastern Coalfields Limited (SECL), Johilla Coal Area, Railway siding located at Nowrozabad, Distt.-Umaria (M.P) regarding generation of dust during loading of coal in rail racks and transportation of coal through trucks.

South Eastern Coalfields Limited (SECL) is a Miniratna Subsidiary Company of Coal India Limited which is a Central govt. undertaking PSU. Johilla Coal Area is one of the areas of SECL located in Umaria district of Madhya Pradesh presently having five Underground and One Opencast Coal Mines in operation. The combined total consented coal production capacity from all the operational mines is around 4.245 MTPA. SECL, Johilla Coal Area currently

operates railway siding at Nowrozabad, which is located within the lease area of Nowrozabad UG Coal Mine. Copy of mining lease document is enclosed. [Annexure-5].

M/s Nowrozabad Under Ground Coal Mine, SECL, Johilla Coal Area has obtained Consent to Operate from MPPCB under section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and under section 21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 valid upto 31.07.2026. Copy of Consent to Operate is enclosed. [Annexure-6]

Statement by applicant in the presence of Joint Committee visit:-

The applicant Shri Kamal Chandani gave the statement in presence of Joint Committee during which he mentioned that, "The Traders Association Nowrozabad letter head used for submission of complaint to Hon'ble NGT dated 29.03.2025 is not registered association, the residence and shop of petitioner is established as illegal encroachment SECL, Johilla Coal area land, also the photographs enclosed with letter head were taken from the news channel screen. Copy of undertaking by Mr. Kamal Chandani is enclosed. [Annexure-7]

Observations related to SECL Nowrozabad Railway Siding:-

Joint Committee observed that, there is populated area approx 80-100 meter distance on southern direction of railway siding track and on remaining direction there is no populated area approx. 500 meter distance. As per information given by SECL, Johilla Coal Area management, the total annual coal production in FY 2024-25 from whole area was around 1.81 MT, out of which around 1.38 MT coal was transferred to railway siding annually. Information collected from SECL, Johilla Coal Area, Nowrozabad is tabulated as below:-

Table 01_Coal Production in Financial Year 2024-25 with different mode of Transportation

Mine	Production (Te)	Coal transferred to Nowrazabad Siding for Rail made Dispatch (Te)	Total No. of Trucks required for coal transporation to Railway Siding (Te)/Day	Transportation Route through Bazarpura (Yes/No)	Road Sale Mode Transportation (Te)	Total No. of Trucks required for coal transporation by road mode (Te)/Day	Transportation Route through Bazarpura (Yes/No)
	A	B	C=(B/30)/365	D	E	F=(E/30)/365	G
Nowrozabad (W)	76,640.00	76,140.00	7	No	0.00	0	No
Pali Ug	70,006.00	53,839.30	5	Yes	19674.78	2	No
Vindhya Ug	4,42,870.00	3,08,713.49	28	No	147951.34	14	No
Umaria Ug	1,04,100.00	1,02,183.58	9	Yes	632.36	0	Yes
Piparia Ug	89,292.00	52,259.82	5	Yes	39667.32	4	No
Kanchan OC	10,31,299.00	7,96,387.09	73	No	227737.97	21	Yes
Total	18,14,207.00	13,89,523.00	127		435663.77	40	

Note- Above information was provided by SECL officials Johilla Area

Table-02 Details of coal transportation road of Johilla Area SECL Nowrozabad passing through Bazarpura Market (Main market)

S.No.	Transportation Road of SECL	Distance	Arrangement for pollution mitigation	Affected population/Towns
1.	Railway Siding (Nowrozabad) to Bazarpura Nowrozabad	2.4 KM	Bitumen Road provided. Some potholes observed due to heavy vehicles.	800-1000 approx. Name of town- Nowrozabad Market area, Bazarpura
2.	Pali UG Mine to Nowrozabad Railway Siding.	9 KM	Bitumen and concrete road	
3.	Umaria UG mine, Piparia UG mine to Nowrozabad railway Siding	33 KM	Bitumen and concrete road	

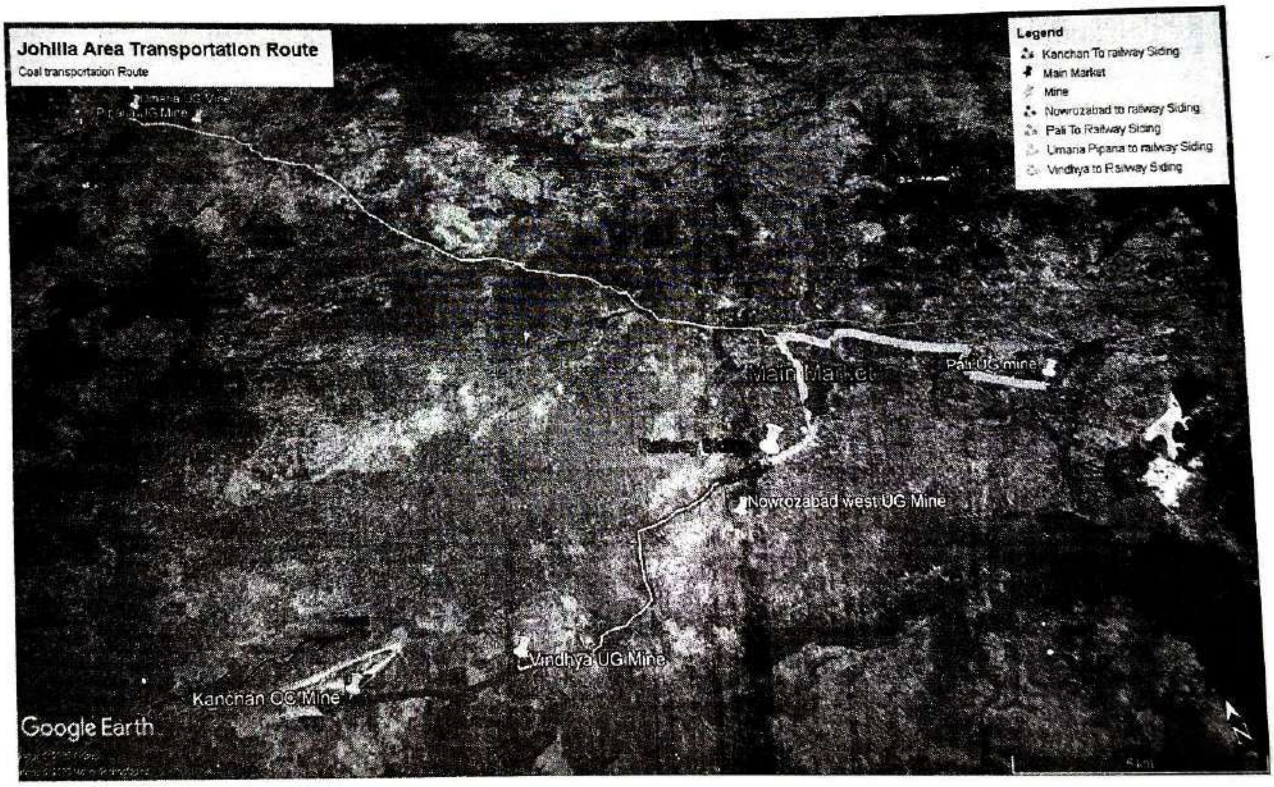

Google overview of coal transport Road of Johilla area SECL

Factual status observed during Joint Committee Visit:-

During the visit, meeting was conducted with applicant and project proponent officials (SECL Johilla) at Nowrozabad Railway Siding. It was observed that, the committee was visited along with applicant at railway siding and main market area at Nowrozabad.

- Road coal transportation was operational and movement of coal loaded trucks from coal mines to railway siding and empty trucks in railway siding to mines.
- It was observed that 32 nos. of fixed water sprinklers already installed at railway site stock piling area with pump capacity of 75 HP were found operational.
- It is observed that, the transportation road from mines to railway siding was bitumen road having some potholes and dust suppression.
- The mobile water tanker and pressurised truck mounted fogger system was operational in transportation road.
- Mechanical Road sweeping machine for road dust cleaning purpose is observed in operational condition.
- Dense plantation along both side of railway siding track and approach road of SECL Township.
- It is observed that truck carrying coal to railway siding are tarpaulin covered and no dust emission is observed from truck movement.
- No wheel washing arrangement observed at the railway siding, Nowrozabad.
- SECL Johilla Area, Nowrczabad informed to committee, that the main market, Nowrozabad is established within the SECL and Railway land. Copy of the Notice issued to the applicant and other who have done encroachment on the land of SECL as provided by SECL Johilla Area is enclosed. [Annexure-8]
- As informed by SECL, Johilla Area officials, the alternate road mentioned in letter petition passing in front of General Manager , SECL, Johilla Area Bunglow/Residence quarter is a narrow road and there is colony and public utility offices (SBI, Post Office etc.) has never been used for coal transportation/heavy vehicle movement to railway siding, Nowrozabad. Information provided by SECL, Johilla Area is enclosed. [Annexure-9]

- Ambient Air monitoring is conducted on 06.10.2025 by Regional Laboratory, MPPCB, Shahdol at various locations in the presence of joint committee members and the analysis results are found within the prescribed standards. The location of Near Main gate, Railway siding, Nowrozabad the values of PM10 is more than prescribed limit due to heavy truck movement and other vehicles also. Copy enclosed. [Annexure-10]

Ambient Sampling Points	Parameters	Unit	Prescribed Limit	Result
Near Railway siding, Nowrozabad	Particulate Matter (PM10)	µg/ M^3	100.0	96.44
Near Main gate, Railway siding, Nowrozabad	Particulate Matter (PM10)	µg/ M^3	100.0	**118.0**
Near water filter plant, Main gate	Particulate Matter (PM10)	µg/ M^3	100.0	82.06
Near Sub area office, Nowrozabad	Particulate Matter (PM10)	µg/ M^3	100.0	88.19

- Total 04 Nos. of CAAQMS station already installed within SECL Johilla Area out of which 01 station is located at SECL, General Manager Office, Johilla Area, Nowrozabad approximately 2.5 KM distance from main marker Nowrozabad. CAAQMS data is connected to MPPCB, ESC portal. Last 6 months AAQM data (April to September 2025) is enclosed. [Annexure-11]

Suggested Remedial measures action to be taken by SECL for effective dust mitigation in coal transportation area:-

- The existing coal transportation road along market area, Nowrozabad shall be concreted and properly widened and remaining road shall be properly repaired and maintained in good condition to control fugitive dust emissions.

- Regular road sweeping and water spraying shall be carried out along the coal transportation road up to railway siding and proper logbook shall be maintained.
- More Plantation shall be carried out in railway siding premises and along the coal transportation road.
- Proper water drainage arrangement shall be provided at sprinkling area of loading, unloading and at storage, so that drained water is collected at a common tank and can be reused.
- Wheel washing arrangement shall be provided at railway siding.

Milind Kumar Nimje Scientist-C, Regional Directorate, CPCB, Bhopal (M.P)	07/10/25 **Reeta Daheriya** Joint Collector, Distt.- Umaria (M.P.)	7/10/25 **Mukesh Shrivastava** Regional Officer, MPPCB, Regional Office Shahdol (M.P)

Photographs

NGT Case OA 104/2025 (CZ)

Date 06/10/2025

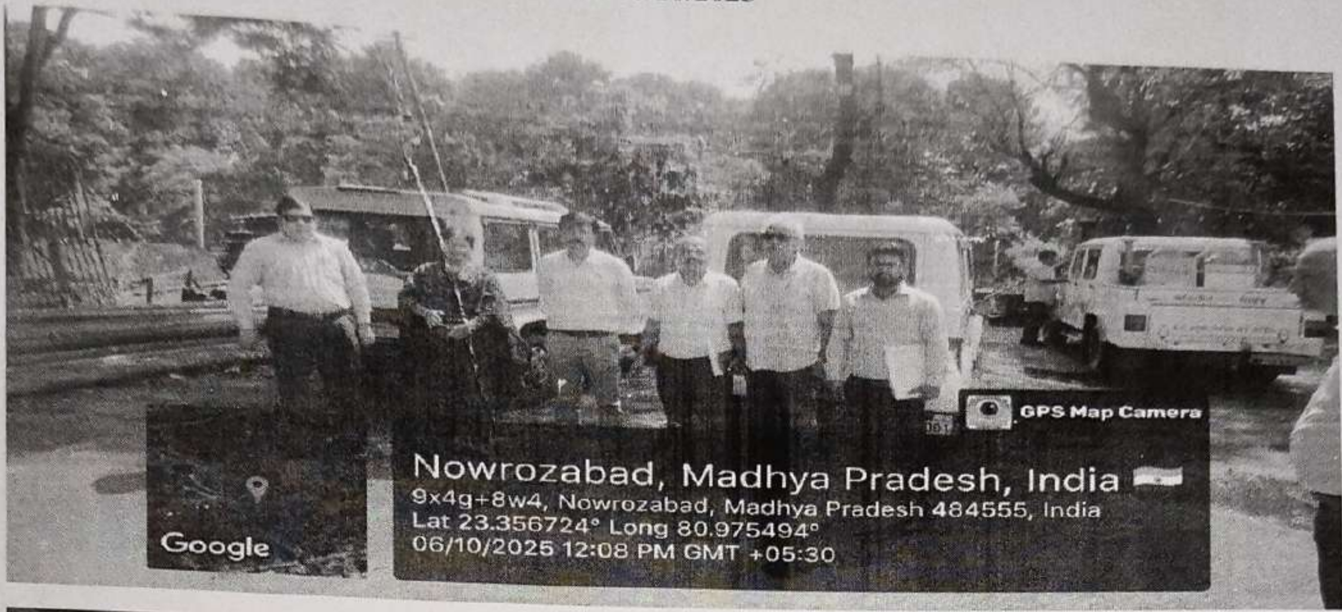

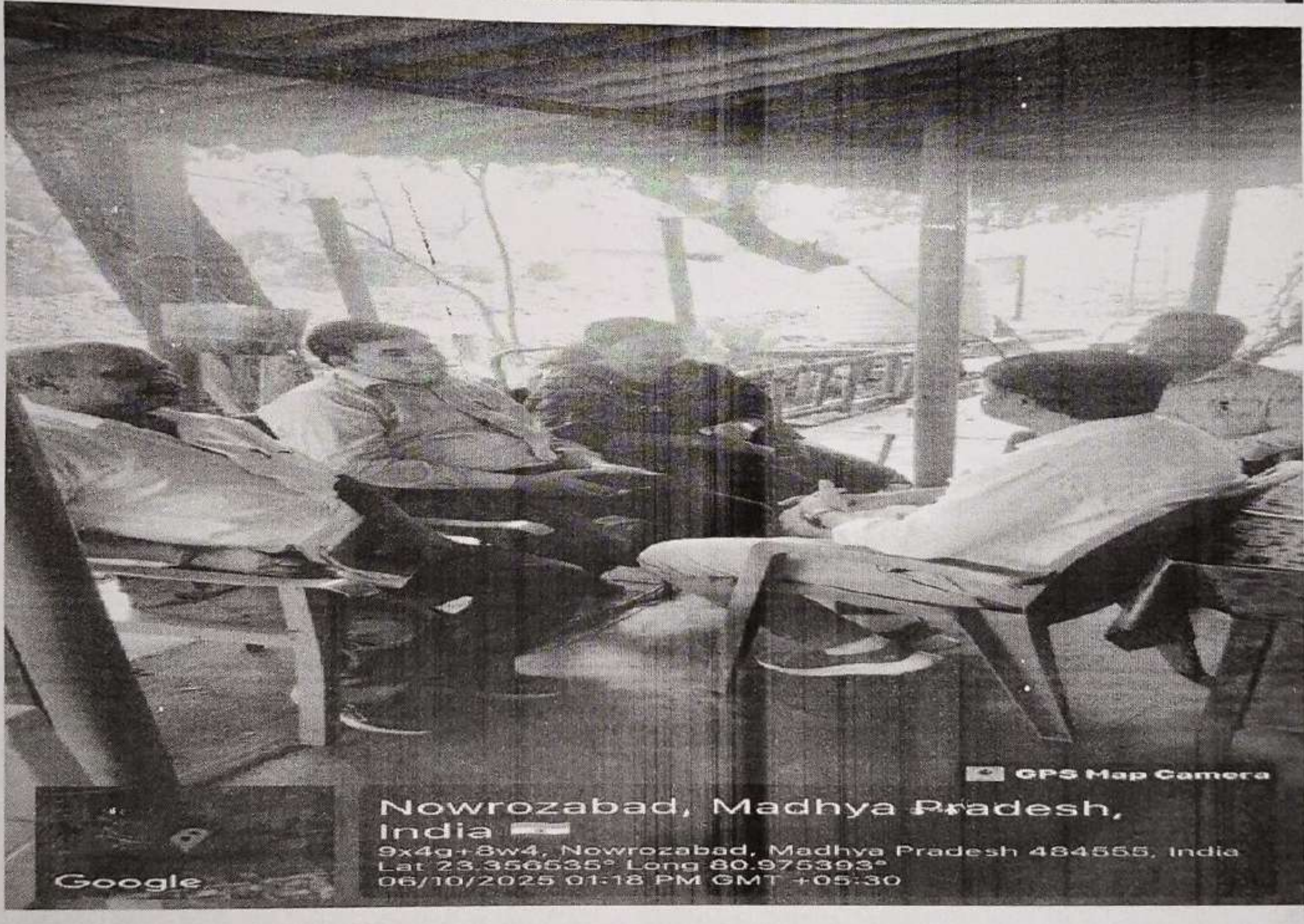

Joint Committee members inspection & discussion with applicant Shri Kamal Chandani & SECL Officials

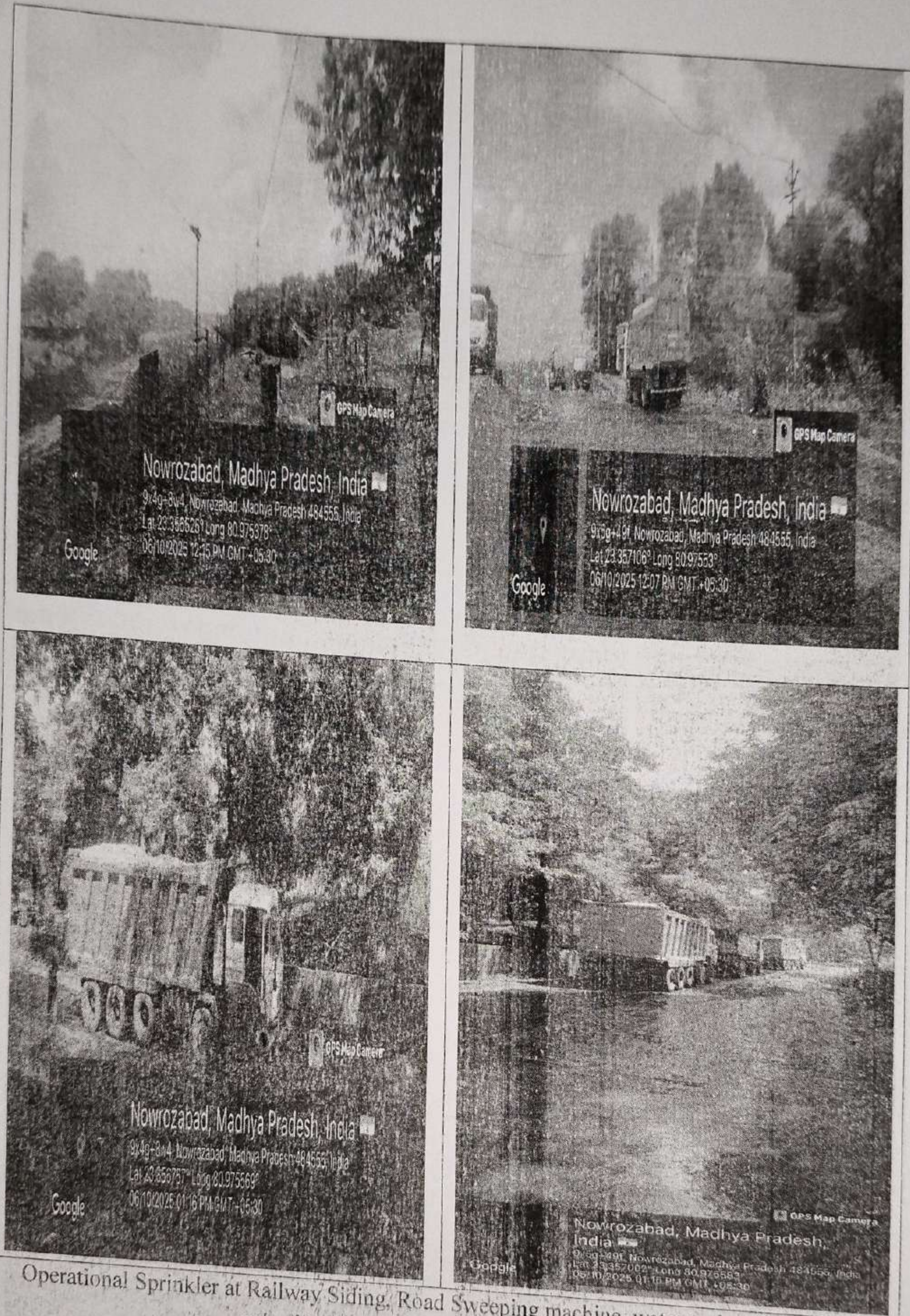

Operational Sprinkler at Railway Siding, Road Sweeping machine, water tanker, loading and unloading trucks with covering of Tarpaulin.

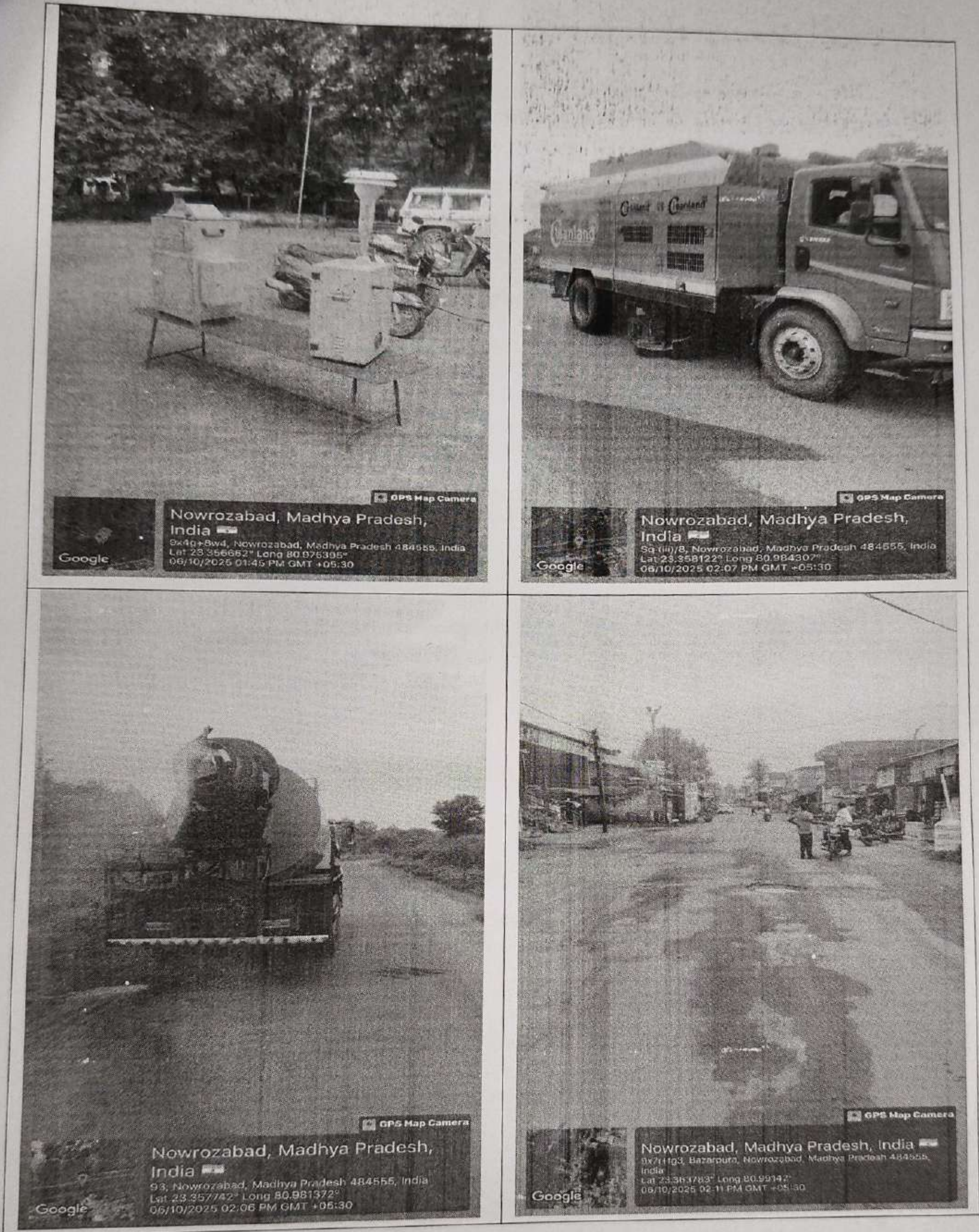

Monitoring by MPPCB Shahdol, Fogging machine operated by SECL, potholes observed during the inspection

Annx.-01

Item No. 03 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 334/2025

Kamal Chandani Applicant

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors. Respondents

Date of hearing: 22.07.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the applicant.

ORDER

1. The applicant-Kamal Chandnani, President (Traders Association) Tehsil Nowrozbad, District Umaria, Madhya Pradesh has sent the present letter petition dated 29.03.2025 to this Tribunal which has been treated and registered as Original Application No. 334/2025 for exercise of suo motu jurisdiction.

2. The relevant part of the letter petition enumerating grievances of the applicant is reproduced as follows:-

> *"विषय : SECL, JOHILLA AREA, NOWROZABAD अंतर्गत रेलवे साइडिंग में रैक लोडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन के समय भारी मात्रा में उड़ रही धूल के सन्दर्भ में*
>
> *X X X X*
>
> *निवेदन है की SECL, JOHILLA AREA की जो की जिला उमरिया मध्यप्रदेश में है, इनकी खुद की एक रेलवे साइडिंग है जिससे ये कोयले का परिवहन रेल मार्ग द्वारा करते है, रेल रैक में कोयला लोडिंग के समय भारी मात्रा में धूल के गुब्बार उठते है जो घंटो तक आसपास के सैकड़ो मीटर के*

एरिया को प्रभावित करते है, जिससे आम जन में बीमारिया एवं कई प्रकार के संक्रमण हो रहे है।
इसके साथ ही इनके द्वारा रोड परिवहन द्वारा भी कोयले का विक्रय किया जाता है, जिसमे लगभग रोज सौ से दो सौ ट्रक कोयला परिवहन होता है, जिसके परिवहन के लिए बाजार पूरा मुख्य मार्केट से हटकर जी एम् बंगले से होकर एक नवीन सड़क का निर्माण किया गया था जिससे आम जन को धूल से निजात मिल सके लेकिन माननीय जी एम् साहब का बंगला उस रास्ते में होने एवं माननीय जी एम् साहब को धूल से परेशानी होने के कारण वहा से परिवहन मार्ग बदल कर पुनः मार्केट के बीच से कोयला लदे ट्रक का संचालन होने लगा, मात्र एक वी आई पी परिवार की परेशानी कम करने के कारण पूरे शहर को मौत के मुँह में धकेल दिया गया.
नगर की विभिन्न संस्थाओ द्वारा कई बार यह मुद्दा उठाया गया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है. अतः आप माननीय से निवेदन है की त्वरित कार्यवाही कर इस भारी जानलेवा समस्या से मुक्ति दिलाये
संस्था का नाम एवं एड्रेस जिसके विरूद्ध हमारी शिकायत है:
SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED
JOHILLA AREA
NOWROZABAD
PO: NOWROZABAD
DISTT: UMARIA (MP)484555
MOBILE NUMBER OF GENERAL MANAGER: 9425533901"

3. English translation by the Registry of the relevant part of the letter petition quoted above reads as under:-

> *"Subject: Regarding heavy dust flying during rack loading and transportation at railway siding under SECL, JOHILLA AREA, NOWROZABAD.*
> *X X X X*
> *It is requested that SECL, JOHILLA AREA which is in district Umaria, Madhya Pradesh, has its own railway siding through which it transports coal by rail. At the time of loading coal in the rail rack, huge amount of dust clouds arise which affect the surrounding area of hundreds of meters for hours, due to which the common people are getting diseases and many types of infections.*
> *Along with this, coal is also sold by them through road transport, in which about a hundred to two hundred trucks of coal are transported every day, for the transportation of which a new road was constructed away from the main market and through the GM bungalow so that the common people could get relief from the dust, but due to the Hon'ble GM Sahib's bungalow being on that route and Hon'ble GM Sahib having trouble with the dust, the transport route was changed from there and the coal laden trucks started operating through the middle of the market again, just for reducing the trouble of one VIP family, the entire city was pushed into the mouth of death. This issue has been raised many times by various organizations of the city but no one is ready to listen. Therefore,*

we request you to take immediate action and free us from this serious and life-threatening problem.
Name and address of the organization against which we have a complaint:
SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED
JOHILLA AREA
NOWROZABAD
PO: NOWROZABAD
DISTT: UMARIA (MP)484555
MOBILE NUMBER OF GENERAL MANAGER: 9425533901"

4. *Prima facie* the averments made in the application raise substantial questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule-I to the National Green Tribunal Act, 2010.

5. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Madhya Pradesh through its Principal Secretary, Housing and Environment Department, Government of Madhya Pradesh, (2) Madhya Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary, (3) District Magistrate, Umaria and (4) South Eastern Coalfields Limited, Johilla Area, Nowrozabad, Post Office Nowrozabad, District Umaria, Madhya Pradesh through General Manager who are impleaded as respondents no. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 4 requiring them to file their reply/response within one month.

6. In view of the environmental questions involved in the case, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of officers duly authorized by Central Pollution Control Board, Madhya Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Umaria and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned

project proponents, verify the factual position and submit report suggesting appropriate remedial action. The Maharashtra State Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

7. Even though in the present case cognizance has been taken by this Bench on the basis of letter petition received by post with approval and assignment under order of Hon'ble Chairperson, but in view of the facts and circumstances of the case including the fact that the place of accrual of cause of action lies within jurisdiction of the Central Zone Bench of this Tribunal at Bhopal we are of the considered view that it will be appropriate if the case is further heard by the Central Zone Bench of this Tribunal at Bhopal.

8. Accordingly, the Registry is directed to list the matter before the Central Zone Bench of this Tribunal at Bhopal on 02.09.2025 after obtaining orders from Hon'ble the Chairperson for transfer of the case.

9. Report of the Joint Committee may be filed by Maharashtra State Pollution Control Board and replies/ responses may be filed by respondents no. 1 to 4 before the Central Zone Bench of this Tribunal at Bhopal within one month.

10. A copy of this order be sent to the Member Secretary, Central Pollution Control Board, Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Umaria by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

July 22nd, 2025
Original Application No. 334/2025

Anxx. -02

कार्यालय कलेक्टर, जिला उमरिया (म.प्र.)

::आदेश::

क्रमांक/ फा.17/प.लि./2025/I/519364/2025 उमरिया, दिनांक 25-09-2025

मानतीय एनजीटी द्वारा 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है एवं गठित समिति को 02 सप्ताह में बैठक व साइट का दौरा कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 13.10.2025 को नियत है। माननीय एन.जी.टी. के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है।

दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 334/2025 मे दिनांक 22.07.2025 को आदेश पारित किया गया है, माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच नई

अत: उपरोक्त परिपेक्ष्य में समिति के सदस्य के रूप में रीता डेहरिया संयुक्त कलेक्टर जिला उमरिया को नामांकित किया जाता है।
(कलेक्टर महो.द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Minakshi Banjare
Date: 25-09-2025
18:17:28

वास्ते-कलेक्टर जिला उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी विधि शाखा, म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड मख्यालय भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. रीता डेहरिया संयुक्त कलेक्टर जिला उमरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. म.प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रिय कार्यालय शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते-कलेक्टर जिला उमरिया (म.प्र.)

(18)

Scanned with CamScanner

Annex-06

CPCB

क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

CM-13012/30/2025-LAW-RD BHOPAL/23099/720

दिनाँक: 29 अगस्त, 2025

प्रति,

सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल – 462016

Most urgent
NGT Case

M.P. Pollution Control Board, Regional Office, Shahdol
Recd. No. 1282
Date 1.9.25

विषय: NGT OA No. 104/2025(CZ) Earlier 334/2025 (PB) "Kamal Chandani Vs. State of Madhya Pradesh & Ors." में अधिकारी के नामांकन बाबत।

संदर्भ: 1. CM-13012/30/2025-LAW-RD BHOPAL/23099/559 दिनाँक: 05/08/ 2025
2. माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक: 22/07/2025

अनुस्मारक-1

महोदय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक: 22/07/2025 को विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला मजिस्ट्रेट, उमरिया के प्रतिनिधि शामिल हैं।

माननीय अधिकरण ने समिति को दो सप्ताह के भीतर बैठक कर स्थल निरीक्षण, शिकायतकर्ता व परियोजना प्रतिनिधियों से चर्चा करने एवं तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि करने के उपरांत सुधारात्मक सुझाव सम्मिलित कर माननीय अधिकरण के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 02/09/2025 को नियत की गई है। उक्त प्रकरण में मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी होगी।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से श्री मिलिंद कुमार निमजे, वैज्ञानिक 'ग' (मोबाइल नं.- 9424440007, ईमेल- milind.cpcb@gov.in) का नामांकन उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 05/08/2025 को आपके कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था। जिस संबंध में अभी तक निरीक्षण की तिथि के बारे में इस कार्यालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त हेतु निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:
1. डिवीजनल हेड, विधि अनुभाग, के.प्र.नि.बो., दिल्ली – की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बो., शहडोल
3. श्री मिलिंद कुमार निमजे, 'ग' के.प्र.नि.बो., भोपाल } की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय निदेशक

"राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है"

पता: "परिवेश भवन"
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
ईपीएबीएक्स : 0755-2775385, 2775386
क्षेत्रीय निदेशक डायरेक्ट : 0755-2775384
ई-मेल: cpcb.bhopal@gov.in, वेबसाइट: www.cpcb.nic.in

मुख्यालय:
परिवेश भवन
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032
दूरभाष क : 011-43102030

"सिंगल यूज प्लास्टिक" का करें बहिष्कार

(19)

Scanned with CamScanner

Cell

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : lt_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक /विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2025, भोपाल, दिनांक

// कार्यालय आदेश //

सिविल प्रकिया संहिता 1908(1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल को (पक्षकारों के नाम) प्रकरण क्रमांक 334/2025(PB),104/2025(CZ) (कमल चंदानी विरूद्व मध्यप्रदेश शासन व अन्य) प्रिंसिपल/सेन्ट्रल बेंच, में म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने, आवेदन पत्र करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि म0प्र0 विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जॉच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त विन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में बोर्ड अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो। रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावे।

(2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।

(3) याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे की बोर्ड द्वारा नियुक्त अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(4) उक्त रिर्पोट तथा सामाग्री के साथ बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।

(5) बोर्ड अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।

(6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजपत्र भेजेगा :-

 (1) बादपत्र की एक प्रति के साथ बोर्ड की एक रिर्पोट।

 (2) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

 (3) उन सभी दस्तावेजों की एक पूरी सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच में प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।

 (4) मामले के विशादीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

(7) मामले की तैयारी और संचालन करने में बोर्ड अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वंय को सदैव ही अवगत रखना।

(8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा बोर्ड के विरूद्व पारित किया जाता है तो बोर्ड को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।

(9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा बोर्ड अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही के किये जाने के लिये इस बोर्ड को भेजेगा।

AE/Sci/JS/BMW/EStt/AC/
E- Waste/Legal/HSMD/LAB

RO

Scanned with CamScanner

ANex-06

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016
Fax No :+91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

(10) यह देखना कि आवेदन करने मे तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।

(11) जैसे कि उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।

(12) प्रभारी अधिकारी,मामला तैयार करने में बोर्ड अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि,कोई महत्वपूर्ण पत्र या दस्तावेज आप्रकटिक/छुपी हुई न रह जाये।

(13) प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह जैसे ही विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट सदस्य सचिव को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में कार्य किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुर्नरीक्षण आपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये सदस्य सचिव को अपनी अनुशंसा के साथ बोर्ड को अग्रेषित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

अधीक्षण यंत्री(विधि)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

पृ0क्र0 2596/विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2025, भोपाल, दिनांक 08 AUG 2025

प्रतिलिपि :-

(1) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर बोर्ड अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ सदस्य सचिव को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड को सदैव ही भेजी जावे। **कृपया प्रकरण की आगामी सुनवाई से पूर्व रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय एनजीटी के आदेश का पालन हो सके।**

(2) श्रीमती पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चेम्बर, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण यंत्री(विधि)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

(21)

Scanned with CamScanner

Anxx.-03

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक, गोरतरा, बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
Tel./Fax (07652) 248938 / E mail : ropcbshahadol@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 1024 /क्षेका/प्रनिबो/2025

शहडोल, दिनांक 26/9/2025

प्रति,

श्री कमल चंदानी,
अध्यक्ष (ब्यापारी संघ)
नौरोजाबाद, तहसील–नौरोजाबाद
जिला–उमरिया (म.प्र.)

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित संयुक्त जॉच समिति द्वारा निर्धारित निरीक्षण दिनांक के दौरान उपस्थिति बावत्।

संदर्भः–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ.ए. 104/2025 (सी.जेड.) (पूर्व में ओ.ए. 334/2025–पी.बी.) में पारित आदेश के पालनार्थ।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बैंच में प्रचलित ओ.ए. 104/2025, पूर्व में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बैंच ओ.ए. 334/2025 में दिनांक 22.07.2025 को पारित आदेश के पालनार्थ, दिनांक 06.10.2025 को समय 11.00 A.M बजे, संयुक्त जॉच समिति के द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है।

अतः तत्संबंध में स्थल निरीक्षण के दौरान आपकी उपस्थिति अपेक्षित है।

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक 1025 /क्षेका/प्रनिबो/2025

शहडोल, दिनांक 26/9/2025

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमति रीता डेहरिया, संयुक्त कलेक्टर, जिला–उमरिया (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. श्री मिलिन्द कुमार निम्जे, वैज्ञानिक–ग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व कोयला खनन परियोजना (एस.ई.सी.एल.), जोहिला एरिया, नौरोजाबाद, पी.ओ.–नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आप अथवा आपके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि संयुक्त निरीक्षण के दौरान उपस्थिति रहने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
शहडोल (म.प्र.)

उपस्थिति पत्रक

माननीय NGT प्रकरण क्रमांक ओ.ए.104/2025 (सी.जेड) पूर्व में ओ.ए. 334/2025 – पी.बी.) में पारित आदेश के पालनार्थ दिनांक 6/10/2025 को संयुक्त जाँच समिति के द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी एवं सदस्य नाम

1 - श्रीमति रीता डेहरिया, संयुक्त कलेक्टर अनूपपुर 06/10/25

2 - श्री मिलिन्द कुमार निम्जे वैज्ञानिक-ग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

3 - श्री मुकेश श्रीवास्तव क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. नि. बोर्ड शहडोल 6/10/25

4 - अभयानन्द शर्मा तहसीलदार कोतमा 06/10/25

5 - कमल चन्डानी (शिकायतकर्ता)

6 शिवराम इडा़ने उपयंत्री नगर परिषद कोतमा

7 एककला सीनयया उप क्षेत्रीय प्रबंधक SECL 06/10/25

मौके पर शिकायतकर्ता एवं एक के सदस्य के साथ शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जाँच की गयी। जाँच में निम्नानुसार बिन्दुवार तथ्य पाये गये।

(1) शिकायतकर्ता द्वारा रेल्वे साइडिंग के माध्यम से कोयला के परिवहन/ लोडिंग करते समय धूल के गुब्बार उड़ने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है।

निरीक्षण के दौरान मौके पर साइडिंग से बाहर ट्रैक्टर के
माध्यम से ट्रक के कोयले को नियंत्रित करने हेतु
जल का छिड़काव करना/होना पाया गया/ट्रकों के
गुड्स की शिफ्ट मौके पर नहीं थी/जल छिड़काव हेतु
आवागमन मार्ग पर मोबाइल टैंकर के माध्यम से जल छिड़काव
करते हुए पाया गया/ साइडिंग के अन्दर पक्के
ट्रैक के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण, अवलोकित हुआ
निरीक्षण के दौरान कोयला परिवहन वाहन तारपोलिन से
ढका/ढके हुए पाये गये/ साइडिंग के चारों ओर बाउंड्रीवाल
निर्मित होना पाया गया/ निरीक्षण के दौरान रोड स्वीपिंग
मशीन रेलवेसाइडिंग में उपलब्ध पाया गया/

(2) शिकायत कर्ता द्वारा कोल विक्रय हेतु प्रतिदिन लगभग
100 - 200 ट्रकों के माध्यम से विक्रय/परिवहन होना
बताया गया है, एवं उक्त परिवहन हेतु मुख्य मार्केट से
हटकर Cm बंगले के बगल से होकर नवीन सड़क
निर्माण होना बताया गया, जिससे वर्तमान में परिवहन
न किया जाकर मुख्य मार्केट से होकर परिवहन
किया जा रहा है/ उक्त शिकायत के संबंध में
मौके पर उपस्थित कालरी प्रबंधन द्वारा अवगत
कराया गया कि रेलवे साइडिंग में नियमित, इन्दिरा
एवं पाली मुड़ी मार्ग से सीमित मात्रा में कोयले का
परिवहन किया जाता है/ शिकायतकर्ता द्वारा जिस वैकल्पिक
रोड/मार्ग से परिवहन बंद किये जाने का उल्लेख किया
गया उस मार्ग के संबंध में शिकायतकर्ता के पास
कोई दस्तावेज नहीं है/ कालरी प्रबंधन द्वारा (24)

जानकारी दी गयी कि उक्त मार्ग का प्रयोग कोल परिवहन हेतु न किया जाकर मुख्य मार्ग से ही कोयले का परिवहन किया जाता है।

(3) साइडिंग के आसपास एवं मुख्य सड़क मार्ग के समीप विभिन्न परिस्थितियाँ वायु गुणवत्ता मापन हेतु उपकरण लगाये गये हैं। मुख्य कोल परिवहन मार्ग पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मोबाइल टैंकर के माध्यम से जल छिड़काव की व्यवस्था एवं रोड स्वीपिंग मशीन भी संचालित पायी गयी है। मौका पंचनामा तैयार किया गया। उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कराये गये।

[illegible] [illegible] 06.10.25 [illegible] 6/10/25

[illegible] 06/10/25
Joint Collector

[illegible] 06/10/25

[illegible] 06/10/25

[illegible]
KAMAL CHAMANI

[illegible]
Sub Eng
Shivram Idpache

9 (1)

220

भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 27/5/1993

अधिसूचना

का०आ० 1164 केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 13 अप्रैल, 1991 पृष्ठ 1726-27 पर प्रकाशित अधिसूचना सं०का०आ० 1048 तारीख 26 मार्च, 1991 के साथ पठित और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 9 जून, 1990 में प्रकाशित तत्कालीन ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 1600 तारीख 30 मई, 1990 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में, जिसका माप 2149.94 एकड़ (लगभग) या 870.07 हेक्टर (लगभग) खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 2137.58 एकड़ (लगभग) या 865.07 हेक्टर (लगभग) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और खोज करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए ।

(26)

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 2137.58 एकड़ (लगभग) या 865.07 हैक्टर (लगभग) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और खनिजों के तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के सं० सीइसीएल/जीएसपी/जीएम (योजना)/भूमि/93, तारीख 15 जुलाई, 1991 वाले रेखांक का निरीक्षण कलक्टर, शहडोल (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता-700001 के कार्यालय में या साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) सीपत रोड, बिलासपुर-495001 (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

--

(27)

213

अनुसूची

कुदरी ब्लाक

सोहागपुर कोलफील्ड

जिला - शहडोल (मध्य प्रदेश)

खनन अधिकार

राजस्व भूमि

क्र०सं०	ग्राम	साधारण संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	वहिदंन	475	बंधोगढ़	शहडोल	52.013	भाग
2.	सोहरगवान	156	बंधोगढ़	शहडोल	58.515	भाग
3.	पिपरारी	414	बंधोगढ़	शहडोल	181.06	भाग
4.	पिनौरा	413	बंधोगढ़	शहडोल	73.706	भाग
5.	कुदरी	104	बंधोगढ़	शहडोल	408.196	भाग

योग 773.49 हैक्टर

वन भूमि

क्र०सं०	कम्पार्टमेंट संख्या	रेंज	प्रभाग	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	पी 173 (III)	कारकेली	उमरिया	91.58	भाग

योग 91.58 हैक्टर

कुल योग 865.07 हैक्टर (लगभग)

या

2137.58 एकड़ (लगभग)

(28)

ग्राम चहिदीग में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

156 (भाग),	185 (भाग),	226 से 234,	260/307,
157 (भाग),	186,	235(भाग),	261 से 268,
157/297 (भाग),	187,	236 (भाग),	269 (भाग),
158 (भाग),	188 (भाग),	237 (भाग),	282 (भाग),
171 (भाग),	191(भाग),	238 (भाग),	283
172 से 176,	219 (भाग),	240 (भाग),	283/308,
176/296,	220,	241 (भाग),	283/309,
176/294,	221 (भाग),	242 से 251,	284 से 291,
177 से 183,	222 (भाग),	251/306,	289/310.
184 (भाग),	225 (भाग),	252 से 260,	

ग्राम खोडरगवान में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

10 (भाग),	104,	107 से 114,
11 (भाग),	106,	119.

ग्राम पिपरारी में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

1 (भाग),	57 (भाग),	66 (भाग),	97 (भाग),
2 (भाग),	58 (भाग),	67 (भाग),	98,
3 से 39,	59,	70,	99 (भाग),
40 (भाग),	60,	71(भाग),	100 से 131,
41 से 56,	61 (भाग),	96 (भाग),	132 (भाग).

ग्राम पिनौरा में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

448 (भाग),	452 से 457,	609 (भाग),	618 (भाग),
451 (भाग),	566 से 576,	612 से 617,	619 (भाग).

ग्राम कुदरी में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक

1 से 71;
72 (भाग),
73 से 144,
155 से 157,
158 (भाग),
170 (भाग),
171
173 (भाग),
174 से 203,
204 (भाग),
205 (भाग),
206,
207,
208,
209 (भाग),
210 (भाग),
211 से 227,
228 (भाग),
230 (भाग),
231 (भाग),
233 (भाग),
234 (भाग),
235 (भाग),
319 (भाग),
320 (भाग),
321,
322 (भाग),
323,
324,
325, (भाग)
326 (भाग),
327 से 334,
335 (भाग),
336 (भाग),
337 (भाग),
400 (भाग),
422 (भाग),
423 से 444,
445 (भाग),
446,
447 (भाग),
449 (भाग),
450
451,
452 (भाग),
455 (भाग),
456,
457 (भाग),
459 (भाग),
462 (भाग),
463 (भाग),
464 से 484,
485 (भाग),
486 (भाग),
487 (भाग),
490 (भाग),
491 (भाग),
492 (भाग),
556 (भाग),
557 (भाग),
565 (भाग),
573 (भाग),
574 (भाग),
575 (भाग),
576 से 581,
582 (भाग),
585 (भाग),
586 (भाग),
587 से 640,
641 (भाग),
642 (भाग),
643 से 645,
646 (भाग),
648,
649 (भाग),
650 (भाग),
651 (भाग),
652 (भाग),
656 (भाग),
667 (भाग),
685 से 696,
700,

30

सीमा वर्णन

क-ख : रेखा ग्राम कुदरी में "क " बिन्दु से आरंभ होती है और प्लाट सं0 170,173,233,235,234,231,230,228,319,322,325,326,335, 336 से होकर और प्लाट सं0 214 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ गुजरती है । उसके पश्चात प्लाट सं0 400,422,445,447,449,452,455,457, 459,463,462,492,491 से गुजरती है और "ख " बिन्दु पर मिलती है ।

ख-ग : रेखा कुदरी ग्राम में प्लाट सं0 491, 490, 485, 487, 556, 486, 585, 586, 582, 573, 574, 565, 667, 641,642, 650,652, 651, 649 से होकर गुजरती है उसके पश्चात प्लाट सं0 648 की दक्षिणी सीमा के साथ गुजरती है. उसके बाद प्लाट सं0 646, 656 से होकर गुजरती है । उसके पश्चात वन कम्पार्टमेंट सं0पी 173 (111) से होकर ग्राम पिनौरा में प्रवेश करती है । उसके बाद प्लाट सं0 612 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गुजरती है । उसके बाद वन कम्पार्टमेंट सं0 पी 173 (111) और प्लाट सं0609 से होकर गुजरती है और " ग " बिन्दु पर मिलती है ।

ग-घ रेखा पिनौरा ग्राम में प्लाट सं0 609, से गुजरती है प्लाट सं0 576 से चलती है. । प्लाट सं0 97, 96, 99, 132, 99, 40, 71,67, 66, 57, 58, 57,61 से होकर ग्राम पिपरारी में प्रवेश करती है । उसके पश्चात प्लाट सं0448,451 से होकर ग्राम पिनौरा में प्रवेश करती है और प्लाट सं0 282, 269, 171, 158, से होकर ग्राम बहिर्दन में प्रवेश करती है और " घ " बिन्दु पर मिलती है ।

घ-ङ : रेखा बहिर्दन ग्राम में प्लाट सं0 158, 157, 156, 188,185,184, 191, 241, 240,238,237, 236,235, 219,221,222,219,225 से होकर गुजरती है । उसके पश्चात ग्राम पिपरारी में प्लाट सं0 1, 2, 1, 2 से होकर प्रवेश करती है और ग्राम : शोडरगवान में प्लाट सं0 10, 11 से होकर प्रवेश करती है और "ङ " बिन्दु पर मिलती है ।

(31)

क॰ -ड॰ 1 : रेखा पहले से ही खनन पट्टे पर अर्जित क्षेत्र से होकर
ड॰ 2-ड॰ 3 गुजरती है । उसके पश्चात् ग्राम कुदरी में प्लाट
ड॰ 4-क सं0 72 से होकर प्रवेश करती है । उसके बाद नाला
की " पूर्वी सीमा से गुजरती है । उसके पश्चात्
प्लाट सं0 155, 156, 157, की उत्तरी सीमा और
प्लाट सं0 158, 170 से होकर गुजरती है और आरंभिक
बिन्दु " क " पर मिलती है ।

(सं0 43015/22/86-सीए/एलएसडब्ल्यू)

(बी॰ बी॰ राव)
अवर सचिव, भारत सरकार

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक/1399 /खनिज/कोयला/नवकरण/2025 उमरिया, दिनांक 08/07/2025

प्रति,

महाप्रबंधक,
एस.ई.सी.एल. जोहिला क्षेत्र नौरोजाबाद,
जिला उमरिया (म.प्र.)

विषय :- एस.ई.सी.एल. जोहिला क्षेत्र नौरोजाबाद के अंतर्गत नौरोजाबाद भूमिगत खनिपट्टा क्षेत्र, खनिज कोयला हेतु रकबा 1088.108 हें क्षेत्र के अंश भाग रकबा 483.752 हें. क्षेत्र का नवकरण के संबंध में।

संदर्भ :- अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/1557/2381091/2024/12/1 भोपाल, दिनांक 04/04/2025 इस कार्यालय में प्राप्त पत्र दिनांक 21.04.2025।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/1557 /2381091/2024/12/1 भोपाल, दिनांक 04/04/2025 से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को जिला उमरिया के जोहिला क्षेत्रान्तर्गत नौरोजाबाद के ग्राम खोदरगवां, (रकबा 736.473 हे.) एवं देवगवाँकलाँ (रकबा 351. 635 हे.) के कुल रकबा 1088.108 हे. क्षेत्र पर खनिज कोयला हेतु अवधि 28.11.1985 से 27.11.2015 तक अर्थात् 30 वर्ष के लिये खनिपट्टा स्वीकृत रहा है।

2. खनिपट्टाधारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत खनिपट्टा के ग्राम खोदरगवां का रकबा 166.212 हे. एवं ग्राम
देवगवांकलां का रकबा 74.083 हें. क्षेत्र का समर्पण किया गया है।

3. खनिपट्टाधारी द्वारा दिनांक 30.04.2014 को जोहिला क्षेत्र नौरोजाबाद के अंतर्गत ग्राम
खोदरगवां, देवगवांकलां के रकबा 847.813 हे. (प्रथम खनिपट्टा), ग्राम गिंजरी के रकबा 66.494
हें. (द्वितीय खनिपट्टा), ग्राम देवगवांकलां के रकबा 34.892 (तृतीय खनिपट्टा) एवं ग्राम
देवगवांकलां, छांदाकलां, छादाखुर्द के रकबा 306.231 (चतुर्थ खनिपट्टा) का पृथक-पृथक नवकरण
आवेदन प्रस्तुत किया गया।

4. वर्तमान में खनिपट्टाधारी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को जिला उमरिया के जोहिला क्षेत्रान्तर्गत
नौरोजाबाद के ग्राम खोदरगवां (रकबा 306.267 हे.) एवं देवगवाँकलां (रकबा 177.485 हें.) के
कुल रकबा 483.752 हें क्षेत्र पर खनिपट्टा नवकरण आवेदन पत्र कलेक्टर, जिला उमरिया के समक्ष
प्रस्तुत किया गया है।

कलेक्टर, जिला उमरिया द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 18.05.2018, 28.09.2022 एवं दिनांक
5. 07.10.2024 से भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.10.2021
की कण्डिका 3(2) के अंतर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के पालन में खनिपट्टाधारी
द्वारा नवकरण में आवेदित क्षेत्र 483.752 हे. हेतु प्रस्तुत खनिपट्टा नवकरण आवेदन का निराकरण
किये जाने हेतु प्रस्ताव मय सहपत्रों सहित संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को प्रस्तुत किया गया।
संचालनालय द्वारा कलेक्टर, उमरिया से प्राप्त प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव
6. राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है :-
भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक No.13016/5/2018-CA-II Date 03-
6.1 07-2018 से एस.ई.सी.एल. द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान, अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान,
फॉरेस्ट क्लियरेंस एवं पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करने की शर्त पर खनिपट्टा प्रथम नवकरण अवधि
28.11.2015 से 27.11.2035 अर्थात् 20 वर्ष हेतु आदेश जारी करने के लिये अनुमोदन प्रदान
किया गया।
भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना क्रमांक सा.का.
6.2 नि.717 (अ) दिनांक 01.10.2021 को खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित किये
गये हैं। जिसके संशोधित नियम 24 (ग) में कोयले या लिग्नाईट के लिए सरकारी कंपनी या निगम
को प्रदान किए गए सभी खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिए होंगे, प्रावधानित किया गया है।
कार्यालयीन पत्र दिनांक 28.12.2022 को एस.ई.सी.एल. द्वारा प्रस्तुत विभिन्न नवकरण आवेदन
6.3 पत्रों में पायी गई कमियों की पूर्ति एवं नवकरण आवेदन के निराकरण के संबंध में क्षेत्रीय
महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. को लेख किया गया। प्रकरण निराकरण हेतु सुनवाई में लिया गया।
सुनवाई के दौरान एस.ई.सी.एल. के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा Scientist-E/Member
Secretary, IA Coal, Government of India Vide Letter No. Z-11013/53/2024-IA-
II(M) dated 01/07/2024 की प्रति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि, ऐसी खदानें जो
वर्ष 1994 के पूर्व से सी.टी.ओ. पर संचालित है तथा उनका उत्पादन वर्ष 1993-94 से अधिक
नहीं हुआ है एवं उक्त खदानों का विस्तार नहीं किया गया है तो ऐसी खदानों की पर्यावरण अनुमति
की आवश्यकता नहीं है।

क्षेत्रीय महाप्रबंधक सचिवालय जोहिला क्षेत्र
प. क्र. 760
दि. 23/07/25

URGENT

NO(L/R) JT
SAM ... /NR2
NO(Envt)
Pl. Comply

23.7.25

General Manager
SECL Johilla Area
Post-Nowrozabad

(33)

6.4 उपरोक्तानुसार भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.10.2021 के तारतम्य में एस.ई.सी.एल. जोहिला क्षेत्रांतर्गत नौरोजाबाद भूमिगत कोयला खनिपट्टा क्षेत्र के कुल रकबा 1088.108 हे. क्षेत्र के अंश भाग रकबा 483.752 हे. क्षेत्र का नवकरण किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

7. खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 संशोधन दिनांक 01.10.2024 के नियम 24ग में निम्नानुसार प्रावधान है :-
"नियम 24ग - सरकारी कंपनियों या निगमों को प्रदान किए गए खनन पट्टे की अवधि - (1) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् कोयले या लिग्नाईट के लिए सरकारी कंपनी या निगम को प्रदान किए गए सभी खनन पट्टा 50 वर्ष की अवधि के लिए होंगे।"

अतः प्रकरण में उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों के तहत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पक्ष में जिला उमरिया के जोहिला क्षेत्रांतर्गत नौरोजाबाद भूमिगत कोयला खदान के खनिपट्टा क्षेत्र का कुल रकबा 1088.108 हे. क्षेत्र के अंश भाग रकबा 483.752 हे. क्षेत्र पर खनिज कोयला (अनुसूची-एक भाग-क) हेतु अवधि 28.11.2015 से 27.11.2035 अर्थात् 20 वर्ष के लिये खनन संक्रियाएं प्रारंभ किये जाने हेतु लागू विधियों के अधीन सभी सम्मति, अनुमोदन, अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त करने की शर्तों पर खनिपट्टा अवधि विस्तारित मान्य की गई है।

तदानुसार संदर्भित आदेश के अनुक्रम में स्वीकृत खनिपट्टा का पूरक अनुबंध निष्पादन हेतु निम्नानुसार दस्तावेज पत्र के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. रूपये 1,000/- के स्टाम्प पेपर।
2. स्वीकृत क्षेत्र का मानचित्र पॉच प्रतियों में।
3. विगत पॉच वर्ष में खनिज कोयला का ग्रेड वाईज उत्पादन मात्रा का विवरण एवं रायल्टी राशि की जानकारी।
4. आगामी पॉच वर्ष में खनिज कोयला का ग्रेड वाईज जमा योग्य रायल्टी राशि का विवरण।
5. अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
6. वन क्षेत्र में खनिपट्टा स्वीकृत होने कि स्थिति में जारी वन अनुमति हो तो वन अनुमति की प्रति।

अतः उपरोक्त दस्तावेज तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि स्वीकृत विस्तारित खनिपट्टा का पूरक अनुबंध कराया जा सके।

कलेक्टर
जिला उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. कन्ट्रोलर जनरल, इंडियन ब्यूरों ऑफ माईन्स (आई.बी.एम.), इन्द्रा भवन, सिविल लाईन, नागपुर(महाराष्ट्र)।
6. महानिदेशक, खान सुरक्षा, महानिदेशालय, पो० धनबाद, जिला-धनबाद, झारखण्ड, पिन 826001
7. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, योजना क्रमांक-11, कमला नेहरू नगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
8. सदस्य सचिव (सिया), पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. उप संचालक,(खनिज-प्रशासन), जिला उमरिया, मध्यप्रदेश।
10. सहायक खनि अधिकारी/प्र.खनि निरीक्षक, जिला उमरिया (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
11. तकनीकी सचिव, अध्यक्ष-सह-प्रबंधक, निदेशक, एस.ई.सी.एल. बिलासपुर (छ.ग.)।
12. गार्ड फाईल।

कलेक्टर
जिला उमरिया (म.प्र.)

34

5. कन्ट्रोलर जनरल, इंडियन ब्यूरों ऑफ माईन्स (आई.बी.एम.), इन्द्रा भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र)।
6. महानिदेशक, खान सुरक्षा, महानिदेशालय, पो0 धनबाद, जिला-धनबाद, झारखण्ड, पिन - 826001
7. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, योजना क्रमांक -11, कमला नेहरू नगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
8 सदस्य सचिव (सिया), पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश ।
9. प्रभारी अधिकारी (खनिज शाखा), जिला उमरिया, मध्यप्रदेश।
10. तकनीकी सचिव, अध्यक्ष-सह-प्रबंधक, निदेशक, एस.ई.सी.एल. बिलासपुर (छ.ग.) ।
11. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. जोहिला क्षेत्र, नौरोजाबाद, जिला-उमरिया, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

12. गार्ड फाईल ।

(हस्ताक्षर) 24/2/54

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

कार्यालय कलेक्टर
जिला-उमरिया (म.प्र.)
21 APR 2025
M.O.
शाखा अधीक्षक अपर कलेक्टर कलेक्टर

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 04/04/2025

क्रमांक 1557/2381091/2024/12/1 : साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को जिला उमरिया के जोहिला क्षेत्रान्तर्गत नौरोजाबाद के ग्राम खोदरगंवा, (रकबा 736.473 हे.) एवं देवगवॉकलॉ (रकबा 351.635 हे.) के कुल रकबा 1088.108 हे. क्षेत्र पर खनिज कोयला हेतु अवधि 28.11.1985 से 27.11.2015 तक अर्थात् 30 वर्ष के लिये खनिपट्टा स्वीकृत रहा है।

2. खनिपट्टाधारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत खनिपट्टा के ग्राम खोदरगवॉ का रकबा 166.212 हे. एवं ग्राम देवगवॉकलॉ का रकबा 74.083हे. क्षेत्र का समर्पण किया गया है।

3. खनिपट्टाधारी द्वारा दिनांक 30.04.2014 को जोहिला क्षेत्र नौरोजाबाद के अंतर्गत ग्राम खोदरगंवा, देवगंवकला के रकबा 847.813 हे. (प्रथम खनिपट्टा), ग्राम गिंरजी के रकबा 66.494 हे. (द्वितीय खनिपट्टा), ग्राम देवगंवाकला के रकबा 34.892(तृतीय खनिपट्टा) एवं ग्राम देवगंवाकला, छांदाकला, छादाखुर्द के रकबा 306.231 (चतुर्थ खनिपट्टा) का पृथक-पृथक नवकरण आवेदन प्रस्तुत किया गया।

4. वर्तमान में खनिपट्टाधारी द्वारा दिनांक 23.01.2018 को जिला उमरिया के जोहिला क्षेत्रान्तर्गत नौरोजाबाद के ग्राम खोदरगवॉ (रकबा 306.267 हे.) एवं देवगवॉकला (रकबा 177.485 हे.) के कुल रकबा 483.752 हे. क्षेत्र पर खनिपट्टा नवकरण आवेदन पत्र कलेक्टर, जिला उमरिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

5. कलेक्टर, जिला उमरिया द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 18.05.2018, 28.09.2022 एवं दिनांक 07.10.2024 से भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.10.2021 की कण्डिका 3(2) के अंतर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के पालन में खनिपट्टाधारी द्वारा नवकरण में आवेदित क्षेत्र 483.752 हे. हेतु प्रस्तुत खनिपट्टा नवकरण आवेदन का निराकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव मय सहपत्रों सहित संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को प्रस्तुत किया गया।

6. संचालनालय द्वारा कलेक्टर, उमरिया से प्राप्त प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है:-

6.1 भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक No.13016/5/2018-CA-II Date 03-07-2018 से एस.ई.सी.एल. द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान, अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान, फॉरेस्ट क्लियरेंस एवं पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करने की शर्त पर खनिपट्टा प्रथम नवकरण अवधि 28.11.2015 से 27.11.2035 अर्थात् 20 वर्ष हेतु आदेश जारी करने के लिये अनुमोदन प्रदान किया गया।

1498
22/4/25

6.2 भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना क्रमांक सा.का. नि.717(अ) दिनांक 01.10.2021 को खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित किये गये हैं। जिसके संशोधित नियम 24(ग) में कोयले या लिग्नाईट के लिए सरकारी कंपनी या निगम को प्रदान किए गए सभी खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिए होंगे, प्रावधानित किया गया है।

22/4/25

(36)

6.3 कार्यालयीन पत्र दिनांक 28.12.2022 को एस.ई.सी.एल. द्वारा प्रस्तुत विभिन्न नवकरण आवेदन पत्रों में पायी गई कमियों की पूर्ति एवं नवकरण आवेदन के निराकरण के संबंध में क्षेत्रीय महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. को लेख किया गया। प्रकरण निराकरण हेतु सुनवाई में लिया गया। सुनवाई के दौरान एस.ई.सी.एल. के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा Scientist-E/Member Secretary, IA Coal, Government of India Vide Letter No. Z-11013/53/2024-IA-II(M) dated : 01/07/2024 की प्रति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि, ऐसी खदानें जो वर्ष 1994 के पूर्व से सी.टी.ओ. पर संचालित है तथा उनका उत्पादन वर्ष 1993-94 से अधिक नहीं हुआ है एवं उक्त खदानों का विस्तार नहीं गया है तो ऐसी खदानों की पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

6.4 उपरोक्तानुसार भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.10.2021 के तारतम्य में एस.ई.सी.एल. जोहिला क्षेत्रांतर्गत नौरोजाबाद की भूमिगत कोयला खनिपट्टा के कुल रकबा 1088.108 हे. क्षेत्र के अंश भाग रकबा 483.752 हे. क्षेत्र का नवकरण किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

7. खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 संशोधन दिनांक 01.10.2024 के नियम 24ग में निम्नानुसार प्रावधान हैं:-

"नियम 24ग – सरकारी कंपनियों या निगमों को प्रदान किए गए खनन पट्टे की अवधि – (1) *खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् कोयले या लिग्नाईट के लिए सरकारी कंपनी या निगम को प्रदान किए गए सभी खनन पट्टा 50 वर्ष की अवधि के लिए होंगे।"*

अतः प्रकरण में उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों के तहत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के पक्ष में जिला उमरिया के जोहिला क्षेत्रांतर्गत नौरोजाबाद भूमिगत कोयला खदान के खनिपट्टा क्षेत्र का कुल रकबा 1088.108 हे. क्षेत्र के अंश भाग रकबा 483.752 हे. क्षेत्र पर खनिज कोयला (अनुसूची-एक भाग-क) हेतु अवधि 28.11.2015 से 27.11.2035 अर्थात् 20 वर्ष के लिये खनन संक्रियाएं प्रारंभ किये जाने हेतु लागू विधियों के अधीन सभी सम्मति, अनुमोदन, अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त करने की शर्तों पर खनिपट्टा अवधि विस्तारित की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
04/4/25
(प्रकाश पांडे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक 04/04/2025

पृष्ठा.क्र. 1558 /2381091/2024/12/1 :

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
2. सचिव, भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, अरेरा हिल्स, भोपाल ।
4. कलेक्टर, जिला-उमरिया, मध्यप्रदेश ।

37

Annx-06

M.P. Pollution Control Board

E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

LiFE

Consent Order

RED-LARGE	CCA-Renewal	PCB ID: 20209

OutWard No:122565,17/04/2025

Consent No:AWH-62057

The Occupier,

M/s. Nawrozabad U\g Mine,

South Eastern Coalfields Ltd., Johila Area,
Village: : Chhada Kalan, Tal : Naurojabad
Dist : Umaria (M.P.)- 484555

Subject: Grant of Renewal of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 and Authorization under Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules, 2016

Ref: Your Application Receipt No. 1404677 Dt. 28/03/2025 and last communication received on Dt.26/03/2025

With reference to your above application for Renewal of consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant renewal of consent up to **31/07/2026** & authorization up to **28/04/2030**, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

a. Location: South eastern coalfields Ltd. Johila area, Teh: Nawrozabad, Dist: Umaria, (M.P.)
Latitude : 23.3508 Longitude : 80.9738

b. Mining Lease area: 850.0 Hectare

c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Production Capacity
Mining of Coal	0.45 Million Ton Per Year

Note:-

(1) For any change in above industry shall obtain fresh consent from the Board.

(2) Management shall ensure timely repair and maintenance of its damaged coverings of transfer points and proper maintenance of conveyor belt to avoid any leakages/ spillage of coal dust. PP shall plan for installation of Automatic water fogging system at the railway/truck coal loading point.

(3) Mine management shall have to use the Tarpaulin cover with minimum 400 GSM thickness. The automatic mechanical covering system shall be used in coal transporting vehicles.

(4) It shall be the responsibility of Mine management to ensure that the mine is run based on valid EC under EIA notification 2006. This renewal of consent is granted based on the declaration submitted by mine management that the mine is operational pre 1994 and it is qualifying the letter issued by MoEF&CC on dated 01.07.2024.

The Validity of the consent is up to **31/07/2026** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- *Conditions under Water Act*
- *Conditions under Air Act*
- *Conditions under Hazardous Rules*
- *General conditions*

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Umaria, Dist. Umaria (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional officer, Regional office, MPPCB, Shahdol (M.P.)

By the order of Chairman, MPPCB

Achyut mishra

Signature Not Verified
Digitally Signed by : A. A Mishra, Member Secretary
Date: 17/04/2025 02:32:33 PM

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

eSign — Digitally Sign with Aadhaar

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 4OFGLI67YA

(38)

This Certificate generated from xgn.mp.nic.in are valid and does not require physical signatures, the certificate can be validated online from xgn.mp.nic.in using "TPAV" Number.

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent of the unit be Nil, and the daily quantity of sewage of the unit shall not exceed 376.0 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall operate and maintain effluent treatment system and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0		TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.		Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD 3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.				
COD	Not exceed	250 mg/l.				
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.				

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 and standards notified by MPPCB from time to time shall be applicable.

3. Sewage Treatment :-

The applicant shall operate and maintain sewage treatment facility to achieve following standards-

pH	Between	6.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.
fecal coliform	Not exceed	1000 MPN/100 ml

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence **zero discharge condition** shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Water meter preferably electromagnetic/ultrasonic type with digital flow recording facilities shall be installed separately for category wise consumption of water for mine spray, process & domestic purposes and data shall be submitted online through XGN monthly patrak/statements.

Sr	Water Code (Qty in KLD)	WC : 935.0	WWG : 376.0	Water Source
1	Domestic Purpose	391.820	235.092	Mine Water
2	Spray in Mines	6.240	0.000	Recycled

6. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board.

7. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

8. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

9. Compilation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

10. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

(i) The date, exact place and time of sampling
(ii) The dates on which analysis were performed
(iii)Who performed the analysis?

(39)

(iv)The analytical techniques or methods used and
(v)The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shell include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

11. Reporting of Monitoring Results:-
Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

12. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-
The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relive the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

13. Limitation of visible floating solids and foam:
During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

14. Disposal of Collected Solid waste/sludge-
All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

15. Provision for Electric Power Failure-
The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

16. Prohibition of By pass system of treatment facilities-
The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except:
i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

17. Mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

18. In case of any discharge found outside of unit premises the unit may be liable to pay environmental compensation as per NGT orders O.A. no 593/2017dated 22.02.2021 and the industry shall be punishable or court case may be filed by the Board under provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

Sector Specific Water condition:-

1. The mine management shall maintain zero discharge conditions as far as possible. The Mine management shall optimize the water abstraction from the surface water source, if any, by utilizing the mine discharge for spraying on haul roads, mine area and loading - unloading area after proper treatment. The treated mine discharge shall also be utilized for sanitary purposes by providing separate supply lines, dust suppression and for plantation in order to ensure zero discharge status as far as possible. The sewage treated or untreated shall not be disposed in the Balia nala in any case.

2. Rain water harvesting shall be undertaken to recharge ground water source and status of implementation shall be submitted to the Board. Hydro-geological study of the area shall be reviewed annually. In case any adverse effect on ground water quality and quantity is observed, mining shall be stopped and resumed only after applying mitigating steps to restore the same.

3. Garland drain of appropriate size, gradient and length shall be constructed for both mine pit and for waste dump & sump capacity shall be designed keeping 50% safety margin over and above peak sudden rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the area adjoining the mine site. The garland drain shall be stone pitched /lined to prevent the erosion. Sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper settling of silt material. Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drains and de-silted at regular intervals. Mine Management shall construct proper Garland drains & sump of appropriate size before onset of monsoon.

4. The mine water should be treated in siltation ponds. The quality of siltation pond water shall be regularly monitored and mitigation measure shall be taken.

(40)

5. Mine management should improve OB dump stabilization & it's reclamation to minimize erosion and siltation of downstream water bodies during heavy rains. Mine management shall also prepare and implement a time bound action plan for the utilization of fly ash in OB in compliance of the fly ash Notification dated 31.12.2021 within 15 days from the date of grant of this consent.

6. Mine management shall ensure proper and timely maintenance of STP so as to ensure quality of treated effluent within the prescribed limits.

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall operate and maintain air pollution control system to achieve the level of pollutants to the following standards:-

Name of section	Control equipment to be installed	$SPM/RSPM/SO_x/NO_x$ (mg/NM^3) (Annual Average)
Loading-unloading, Haul road, Coal Transportation Road, CHP, Railway Siding, Blasting, Drilling, OB Dumps etc	Dust Collector, Dust Suppressor, Green Belt, Water Sprinkler, Wind Breaking Wall	430 / 215/80/80 (24 Hr. Average : 600/300/120/120)

2. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 $\mu g/m^3$ (PM10 $\mu g/m^3$ 24 hrs. basis)
b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 $\mu g/m^3$ (PM2.5 $\mu g/m^3$ 24 hrs. basis)
c. Sulphur Dioxide [SO2] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu g/m^3$
d. Nitrogen Oxides [NOx] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu g/m^3$
e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 $\mu g/m^3$

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.

6. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises

7. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

8. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation preferably of the local tree species within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions.

9. In case of emission found exceeding prescribed standards, the unit may be liable to pay environmental compensation as per NGT orders O.A. no 593/2017dated 22.02.2021 and the industry shall be punishable or court case may be filed by the Board under provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Sector Specific Air condition:-

1. Mine management shall strictly comply with the directions of the Hon'ble NGT in the matter 276/2013 (Ashwani Kumar Dubey vs. Govt. of India & Others) and shall report accordingly to Board with regard to stoppage of coal transportation by road.

2. Mine management shall regularly operate the CAAQMS station to monitor ambient air quality in the Singrauli area and its vicinity and shall provide its suitable unhindered connectivity with Environment Surveillance Centre of the MPPCB and transmit the data within stipulated time.

3. Mine management shall provide continues water sprinkler systems / rain gun at suitable locations on the road side & provide proper pollution control arrangements to control the fugitive emission generated due to coal transportation.

4. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded. As far as possible road transportation shall be avoided.

5. Extensive tree plantation shall be done on both sides of Mineral transportation roads and around mining lease area. Thetree plantation shall be carried out in phased manner preferably with local species. Good housekeeping practice shall be adopted by the Mine. More plantations with species like Neem, Pipal, Mango, Jamun, Kathal etc shall be planted. Mine

management shall submit a proper proposal for green belt development in MP portion of mine lease hold area.

6. The mine shall take effective steps for safe and scientific reclamation of over burden steps shall be taken to keep the geological structure in the natural form by biological reclamation of mines.

7. Mine management shall take appropriate steps to maintain the eco-system of the area through environmental conservation program and the record shall be submitted to the Regional office of the Board annually.

8. Mines management shall provide progressive plantation on the over burden for stabilization of over burden and prevent the soil erosion.

9. Mine management shall provide fencing all around the mining lease area to prevent the occurrence of accident.

10. Mine management shall setup an online or manual coal ash monitoring system for raw or blended or beneficiated coal supplied to thermal power plants as per the MoEF & CC OM dated 26/08/2015 and submits the report to MPPCB.

11. Coal handling and coal loading and unloading in railway wagons / trucks should be provided with adequate number of high efficiency dust extraction / suppression system. Loading and unloading areas including all the operated. Dust control measures shall be adopted at coal transfer point of the high wall mining machine as per the need.

13. Controlled blasting with delay detonators should be used during blasting operations to avoid, noise, flying of debris and stones, air pollution and vibrations. All blast holes should be properly packed and stemmed with locking caps to harness the maximum blast energy and at the same time to minimize and prevent dust, noise, vibrations and dispersal of fly rocks.

14. Mine Management shall install PTZ Cameras at various strategic points to monitor above covering system in transporting vehicles.

CONDITIONS PERTAINING TO THE HAZARDOUS AND OTHER WASTES (MANAGEMENT AND TRANSBOUNDARY MOVEMENT) RULES, 2016:-

FORM-2

[See rule 6 (2)]

FORM FOR GRANT OF AUTHORIZATION BY M.P. POLLUTION CONTROL BOARD TO THE OCCUPIERS, AND OPERATORS OF FACILITIES

1. Number of authorization and date of issue : ,
2. Reference of application (No. and date) : **COW-1404677, dt: 28/03/2025**
3. The occupier of M/s. Nawrozabad Underground Mine, SECL area (20382) is hereby granted an authorization based on the enclosed signed inspection report for generation, storage, transport, disposal or any other use of hazardous or other wastes or both on the premises situated at South Eastern Coalfields Ltd., Johila Area, Village: : Chhada Kalan, Tal : Naurojabad Dist : Umaria (M.P.)- 484555
4. In case, The Hazardous Waste generation is more than the Authorized Quantity in any of the category of the Hazardous Waste, the Industry is allowed to dispose of the excess quantity of Hazardous Waste as per the authorized mode of disposal. The prior permission is not required in such cases, however the intimation shall be given to the MPPCB.

Details of Authorisation

Category of Hazardous Waste as per the Schedules I, II and III of these rules		Authorized mode of disposal	Quantity (ton/annum)
Used or Spent Oil	(I-5.1)	To be Sold to authorized Re-processors/ Recycler registered with CPCB/SPCB.	0.330-M.T
Wastes or residues containing oil	(I-5.2)	CTSDF / Sale to authorized re-processors registered with CPCB/SPCB.	0.650-M.T

(1) The authorization shall be valid for a period up to **28/04/2030.**

(2) The authorization is subject to the following general and specific conditions (Please specify any conditions that need to be imposed over and above general conditions, if any):

A. General conditions of authorisation:

1. The authorized person shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under.
2. The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the M.P. Pollution Control Board. **Consent No:AWH-62057**

42

3. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous and other wastes except what is permitted through this authorization.

4. Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.

5. The person authorized shall implement Emergency Response Procedure (ERP) for which this authorization is being granted considering all site specific possible scenarios such as spillages, leakages, fire etc. and their possible impacts and also carry out mock drill in this regard at regular interval of time;

6. The person authorized shall comply with the provisions outlined in the Central Pollution Control Board guidelines on Implementing Liabilities for Environmental Damages due to Handling and Disposal of Hazardous Waste and Penalty

7. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the M.P. Pollution Control Board to close down the facility.

8. The imported hazardous and other wastes shall be fully insured for transit as well as for any accidental occurrence and its clean-up operation.

9. The record of consumption and fate of the imported hazardous and other wastes shall be maintained.

10. The hazardous and other waste which gets generated during recycling or reuse or recovery or pre-processing or utilization of imported hazardous or other wastes shall be treated and disposed of as per specific conditions of authorization.

11. The importer or exporter shall bear the cost of import or export and mitigation of damages if any.

12. An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these Rules.

13. Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Central Pollution Control Board from time to time.

14. Annual return shall be filed by June 30th for the period ensuring 31st March of the year.

15. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

B. Specific conditions:

1. **The industry shall display the information on hazardous waste generated on notice board of size 6' x 4' (in Hindi & English) outside the unit main gate along with quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including wastewater, air emission and hazardous wastes.**
2. The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the M.P. Pollution Control Board.

Additional Haz condition:-

1. The industry shall obtain insurance under Public Liability Insurance Act, if applicable and shall submit a copy to the board.
2. Any unauthorized change in production capacity, process, raw materials, personnel, equipments etc. as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of this authorization.
3. The unit shall maintain the records of hazardous waste as per the Form-3 of rule 6(5) and shall online submit the annual return in Form-4 as per rule 6(5) 20(2) to this office on or before 30th June every year and preferably before 30th April.
4. The information regarding quantity of hazardous wastes generated and its analysis report should be sent to the Board online at least annualy.
5. Hazardous Waste Storage Site & Danger signboard shall be provided with all safety devices at the storage site.
6. The authorized person shall inform the name and address of the contact person / occupier responsible for hazardous waste management.
7. In case of importing Hazardous Waste, occupier shall apply to the M.P. Pollution Control Board, 180 days in advance in Form-6, for permission to import of the waste as per Rule 13(i) of Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rule 2016 as amended up to date.
8. In the event of any accident due to handling of hazardous wastes, the authorized person must inform immediately to the Regional Office & Head office of the board on fax/telephone/email-it_mppcb@rediffmail.com about the incident and detail report should be sent in Form No.5 as per Rule-10 of Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rule 2016 as amended upto date.

Additional Packing, Labeling & Transportation of Hazardous wastes:-

I. The occupier or operator of the Treatment, Storage and Disposal Facility or recycler shall ensure that the hazardous waste are packaged and labeled, based on the composition in a manner suitable for safe handling, storage and transport as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board vide - October 2004 & conditions issues from time to time.

II. The labeling and packaging shall be easily visible and be able to withstand physical conditions and climate factors.

III. The transport of the hazardous wastes shall be in accordance with the provision of these rules and the rules made by the Central Govt. under the Motor Vehicle Act 1988 and other guidelines issued from time to time in this regard.

IV. In case of transportation of hazardous wastes through a State other than the State of origin or destination, the occupier shall intimate the concerned State Pollution Control Board before he hands over the hazardous wastes to the transporter.

V. The occupier shall provide the transporter with seven copies of the manifest as per the colour codes as per rule 19(1).

VI. The occupier shall forward copy 1 (white) to the M.P. Pollution Control Board and in case the hazardous wastes is likely to be transported through any transit State, the occupier shall prepare an additional copy each for intimation to such State and forward the same to the concerned SPCB before he hands over the hazardous wastes to the transporter.

VII. No transporter shall accept hazardous wastes from an occupier for transport unless copies 3 to 7 of the manifest accompany it.

VIII. The transporter shall submit copies 3 to 7 of the manifest duly signed with date to the operator of the facility along with the waste consignment.

GENERAL CONDITIONS:

1. MANAGEMENT & DISPOSAL OF FLY ASH:-

MoEF &CC, GOI has issued notification dated 31.12.2021 regarding procedures & mandate to increase utilization of fly ash generated by the thermal power plants through the Coal mines under extended producers responsibility. This notification No.SO 5481 (E) dated 31.12.2021 has been published suppressing the previous Fly Ash Utilization Notification dt 14.09.199 as amended.

Following paras no. 3 & 4 of part B at page no. 16 of the notification are reproduced for taking necessary action at your end –

(3) It shall be obligatory on all mines located within 300 Kilometres radius of thermal power plant to undertake backfilling of ash in mine voids or mixing of ash with external overburden dumps under extended Producer Responsibility (EPR). All mine owners or operators (Government, Public and Private sector) within three Hundred kilometres (by road) from coal or lignite based thermal power plants, shall undertake measure to mix at least 25 percent of ash on weight to weight basis of the materials used for external dump of overburden, backfilling or stowing of mine (running or abandoned as the case may be) as per the guidelines of the Director General of Mines Safety (DGMS).

Provided that such thermal power stations shall facilitate the availability of required quality of ash by delivering ash free of coast and bearing the cost of transportation or transportation arrangement decided on mutually agreed terms and mixing of ash with overburden in mine voids and dumps shall be applicable for the overburden generated from the date of publication of this notification and the utilisation of ash in the said activities shall be carried out in accordance with guidelines laid down by the Central Pollution Control Board, Director General of Mines Safety and Indian Bureau of Mines.

Explanation- For the purpose of this sub paragraph, it is also clarified that the provisions of ash free of cost and free transportation shall be applicable, if thermal power plants serve a notice on the mine owner for the same and the mandate of using 25 percent of ash for mixing with overburden dump and filling up of mine voids shall not be applicable unless a notice is served on the mine owner by thermal power plan

(4) (i) All mine owners shall get mine closure plans (progressive and final) to accommodate ash in the mine voids and the concerned authority shall approve mine plans for disposal of ash in mine voids and mixing of ash with overburden dumps. The Ministry of Environment Forest and Climates Change (MOEFCC) has issued guidelines on 28th August, 2019 regarding exemption of requirement of Environment Clearance of thermal power plants and coal mines along with the guidelines to be followed for such disposal.

(ii) The Ministry in consultation with Central Pollution Control Board (CPCB), Director General of Mine Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines (IBM) may issue further guidelines time to time to facilitate ash disposal in mine voids and mixing with overburden dumps and it shall be the responsibility of mine owners to get the necessary amendments of modification in the permission issued by various regulatory authorities within one year from the date of identification of such mines.

2. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

(44)

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc	Record should be maintained	Sale to authorized party/As Per CPCB, MoEF Guide lines / Others.

3. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
   a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
   b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
   c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
   d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
   e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

4. This consent is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

5. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorize any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

6. Industry shall install separate electric metering arrangement for running of pollution control devices and this arrangement shall be made in such fashion that any non functioning of pollution control devices shall immediately stop electric supply to the production and shall remain tripped till such time unless the pollution control device/devices are made functional. The record of electricity consumption for running of pollution control equipment shall be maintained and submitted to the Board every month

7. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

8. Balance consent fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

9. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent.

10. The industry/unit shall establish a separate environmental cell, headed by senior officer of the unit for reporting the environmental compliances. The industry/ Unit shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.

11. Industry shall obtain membership of Emergency Response Center of the Board if needed.

12. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

13. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
   (a) Violation of any terns and conditions of this Consent.
   (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
   (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

14. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

15. The industry/unit shall also monitor the treated wastewater flow and report the same online through monthly patrak/statements.

16. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

17. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis

18. The record of electricity consumption for running of pollution control equipment shall be maintained and submitted to the Board every month.

19. Mine management shall ensure the disposal of Garbage/ Municipal solid waste of mine's colony area as per the Solid Waste Management Rules, 2016.

20. As directed in the Fly Ash Utilization Notification Issued by MoEF & CC, GOI on dt 31.12.2021; The PP shall initiate all necessary actions from the project level to ensure time bound compliances listed in the notification to start

45

utilization of fly ash in the OB dumps/Mine voids without delay. As per the notification, the fly ash generated since First ... 2022 is to be utilized by the coal mines on priority under extended producers responsibility.

Renewal of Consent as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981and Authorization required under Hazardous and other wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

By the order of Chairman, MPPCB

Achyut mishra

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

eSign
(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 4OFGLI67YA

46

Anxx.-07

कथन

नाम → कमल चेतानी
पिता - श्री अर्जुनदास चेतानी
उम्र - 48
पता - बाजारपुरा वार्ड नं. 07 नौरोजाबाद
व्यवसाय - इलेक्ट्रानिक दुकान

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण में व्यापारी संघ के अध्यक्ष के लेटर पैड पर अध्यक्ष की हैसियत से कोल परिवहन के दौरान एवं साईडिंग मे कोयला लोडिंग के दौरान उड़ने वाले डस्ट साथ ही कोल परिवहन के मार्ग को कॉलरी प्रबंधन के द्वारा बदलने के संबंध मे शिकायत प्रस्तुत की गई थी।

उक्त शिकायत के संबंध में NGT द्वारा गठित दल के समक्ष उपस्थित हुआ। जिस व्यापारी संघ के लेटर पैड का मेरे द्वारा प्रयोग किया गया है वह पंजीकृत नही है मुझे शहर के व्यापारियों द्वारा निर्वाचन के माध्यम से मुझे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। कोल परिवहन के दौरान उड़ने वाली डस्ट के रास्ते मे मेरा मकान/दुकान स्थित है जो कि SECL जोहिला क्षेत्र की भूमि है। आज उत्खनन के दौरान साईडिंग मे स्प्रिंकलर एवं सड़क मार्ग सड़क स्वीपिंग मशीन द्वारा धूल हटाकर पानी का छिड़काव किया गया जो पूर्व में कभी नही किया गया, हालांकि साईडिंग मे स्प्रिंकलर कभी-कभी चलाया जाता था। मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायत मे जो फोटो संलग्न किया गया है वह न्यूज चैनल से निकाली गई फोटो ग्राफ्स है। साथ ही मेरे द्वारा शिकायत मे उल्लेखित नवीन सड़क जिसका उपयोग कोल परिवहन हेतु किया जाना था इसके संबंध मे मेरे पास कोई दस्तावेज नही है लेकिन मैं स्वयं नौरोजाबाद का निवासी हु जिस कारण से 7-8 वर्ष पूर्व उक्त नवीन मार्ग से परिवहन होते देखा है।

यही मेरा कथन है।

[signature]
कमल चेतानी 06.11.24
बाजारपुरा नौरोजाबाद
(M) 8770281391

ANNX.-08

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 279 दिनांक– 04/06/2025

नोटिस
(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति कमल चंद्रानी
रेल्वे लाईन के किनारे बाजारपुरा, नौरोजाबाद
जिला-उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार
01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण मे मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक–21/10/2024 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक–24/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक–24/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

04/06/25
सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जि. उमरिया (म.प्र.)
पिन कोड–484555

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

Sanjay
Received

(48)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 278 दिनांक– 04/06/2025

नोटिस

(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति रमा अवधिया
बाजारपुरा नौरोजाबाद
जिला – उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक– 21/10/24 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यो न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक–24/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोट:– आप दिनांक–24/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

04/06/25
सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म.प्र.)
पिन कोड–484555

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

आज 9-6-2025 को प्राप्त किया
रमा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी, एसईसीएल उपक्षेत्र नौरोजाबाद जिला उमरिया म०प्र०

क्रमांक 314 दिनॉक 12/06/25

नोटिस

(फार्म – ए)

अन्तर्गत धारा 4 उपधारा(1) एवं उपधारा (2) खण्ड बी (v)–पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन आफ अनआथॉराईज आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमती / कुमारी रामचंद्र गुप्ता आत्मज - स्वर्गीय बाजारपुरा नौरोजाबाद जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय / अभिमत है कि आप निम्न अनुसूची में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) में अनाधिकृत रूप से बेजा काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01· एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02· कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति निर्मित करना।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मै आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनॉक 02/11/24 ......को या उसके पूर्व कारण बताए कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए। और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (v) के अनुसरण में मै आपको यह आदेश देता हूँ कि आप स्वयं या सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि सम्बंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य सहित दिनॉक 27/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे समक्ष न्यायालय में व्यक्तिगत / अधिकृत अभिभायाक जिनको इसके सम्बंध में पूरी जानकारी हो सुनवाई हेतु उपस्थित हो। यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते है / होते है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णीत किया जायेगा।

अनुसूचि

कम्पनी की भूमि में अवैध रूप से रहने के कारण व्यवधान पैदा होना।

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक , जोहिला क्षेत्र
2. अनुविभागीय अधिकारी, उमरिया / पाली / नौरोजाबाद
3. तहसीलदार नौरोजाबाद
4. सम्पदा प्रभारी,नौ०उ०क्षे०
5. थाना प्रभारी / निरीक्षक नौरोजाबाद
6. कार्यालय प्रतिलिपि

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
न्यायालय सम्पदा अधिकारी
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

सुनीता गुप्ता

(50)

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी, एसईसीएल उपक्षेत्र नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

दिनॉक 04/06/

क्रमांक 281

नोटिस

(फार्म – ए)

अन्तर्गत धारा 4 उपधारा(1) एव उपधारा (2) खण्ड बी (ए)–पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन आफ अनअर्थराइज आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमती / कुमारी मुश्ताक अहमद s/o अब्दुल रेलवे लाईन किनारे बाजारपुरा नौरोजाबाद जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय / अभिमत है कि आप निम्न अनुसूची में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) में अनाधिकृत रूप से बेजा काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार अतः

01. एस ई सी एल कंपनी के स्वामित्व की अवैध कब्जा करना।
02. कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा करना।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मै आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनॉक 06/12/24 ....को या उसके पूर्व कारण बताए कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए।

और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (ए) के अनुसरण में मै आपको यह आदेश देता हूँ कि आप स्वयं या सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि सम्बंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य सहित दिनॉक 20/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे समक्ष न्यायालय में व्यक्तिगत / अधिकृत अभिभायाक जिनको इसके सम्बंध में पूरी जानकारी हो सुनवाई हेतु उपस्थित हो। यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते है / होते है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णीत किया जायेगा।

अनुसूचि

कम्पनी की भूमि में अवैध रूप से रहने के कारण व्यवधान पैदा होना।

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक , जोहिला क्षेत्र
2. अनुविभागीय अधिकारी, उमरिया / पाली / नौरोजाबाद
3. तहसीलदार नौरोजाबाद
4. सम्पदा प्रभारी,नौ0उ0क्षे0
5. थाना प्रभारी / निरीक्षक नौरोजाबाद
6. कार्यालय प्रतिलिपि

04/06/25

संपदा अधिकारी
न्याय.एसी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

(51)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय कार्यालय सम्पदा अधिकारी, एसईसीएल उपक्षेत्र नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

क्रमांक 321 दिनांक 12/06/25

नोटिस

(फार्म – ए)

अन्तर्गत धारा 4 उपधारा(1) एवं उपधारा (2) खण्ड बी (ब)–पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन आफ अनआथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमती / कुमारी गोलई
बाजार पुरा नौरोजाबाद

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय / अभिमत है कि आप निम्न अनुसूची में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) में अनाधिकृत रूप से बेजा काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01. एस.ई.सी.एल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02. कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अत: अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मै आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक 02/11/24 ......को या उसके पूर्व कारण बताए कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए। और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (ब) के अनुसरण में मै आपको यह आदेश देता हूँ कि आप स्वयं या सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि सम्बंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक 03/07/25 समय 05:00 बजे मेरे समक्ष न्यायालय में व्यक्तिगत / अधिकृत अभिभायाक जिनको इसके सम्बंध में पूरी जानकारी हो सुनवाई हेतु उपस्थित हो। यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते है / होते है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णीत किया जायेगा।

अनुसूचि

कम्पनी की भूमि में अवैध रूप से रहने के कारण व्यवधान पैदा होना।

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक , जोहिला क्षेत्र
2. अनुविभागीय अधिकारी, उमरिया / पाली / नौरोजाबाद
3. तहसीलदार नौरोजाबाद
4. सम्पदा प्रभारी,नौ0उ0क्षे0
5. थाना प्रभारी / निरीक्षक नौरोजाबाद
6. कार्यालय प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर) 12/06/25
सम्पदा अधिकारी
न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

(मुहर: न्यायालय सम्पदा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र)

ताला बंद मिला 2 बार आने से
नोटिस चस्पा किया गया
(हस्ताक्षर)

52

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल/जो0/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24-25/ 283 दिनांक- 04/06/2025

नोटिस

(फार्म-ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्टस) एक्ट 1971

प्रति,

श्री/श्रीमति ...भरत कुमार गुप्ता...
...रेल लाईन किनारे, बाजारपुरा नौरोजाबाद...
जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत है कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक– 21/10/24 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हों आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक– 20/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक– 20/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

04/06/25
सम्पदा अधिकारी,
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला-उमरिया (म.प्र.)
पिन कोड 484556

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

B. Gupta
8/5/26

(53)

न्यायालय / कायोलय सम्पदा अधिकारी, एसईसीएल उपक्षेत्र नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

कमांक 322

दिनॉक 12/06/25

नोटिस

(फार्म – ए)

अन्तर्गत धारा 4 उपधारा(1) एवं उपधारा (2) खण्ड बी (प)–पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन आफ अनअर्थराईज आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमती / कुमारी उदय अवधिया s/o जगेश्वर प्रसाद
बाजारपुरा नौरोजाबाद

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय / अभिमंत है कि आप निम्न अनुसूची मे वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) में अनाधिकृत रूप से बेजा काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01. एस ई सी एल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02. कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मै आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनॉक 02/11/24 ......को या उसके पूर्व कारण बताए कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए।
और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (प) के अनुसरण में मै आपको यह आदेश देता हूँ कि आप स्वयं या सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि सम्बंधित मामले मे सभी सारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य सहित दिनॉक 03/07/25 को समय 05:00 ....बजे मेरे समक्ष न्यायालय में व्यक्तिगत / अधिकृत अभिभायाक जिनको इसके सम्बध में पूरी जानकारी हो सुनवाई हेतु उपस्थित हो। यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते है / होते है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णीत किया जायेगा।

अनुसूचि

कम्पनी की भूमि में अवैध रूप से रहने के कारण व्यवधान पैदा होना।

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक , जोहिला क्षेत्र
2. अनुविभागीय अधिकारी, उमरिया / पाली / नौरोजाबाद
3. तहसीलदार नौरोजाबाद
4. सम्पदा प्रभारी,नौ0उ0क्षे0
5. थाना प्रभारी / निरीक्षक नौरोजाबाद
6. कार्यालय प्रतिलिपि

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

17/6/025
12:30 बजे

(54)

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी एसईसीएल उपक्षेत्र नौरोजाबाद
उमरिया म0प्र0

दिनॉक 08.08.25

क्रमांक 673

आदेश

(फार्म – बी)

अन्तर्गत धारा 5 उपधारा (1) पब्लिक पेमिसेस
(एविक्शन आफ अनअथराईज आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

मेरी. अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कारणो के आधार पर संतुष्ट हूँ कि श्री / श्रीमती / कुमारी श्याम सोनी .... नीचे अनुसूची में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक पेमिसेस) में अनाधिकृत रूप से काबिज है।

कारण

आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 01 के जुज भाग 126X20 मी अनाधिकृत रूप से कब्जा करके निवासरत रहना।

अतः अधिनियम की धारा 5 उपधारा (1) द्वारा मुझे प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मै एतद् द्वारा आदेश देता हूं कि श्री / श्रीमती / कुमारी श्याम सोनी अन्य सभी सम्बंधित व्यक्ति जो कथित परिसर या उसके किसी भाग में अनाधिकृत रूप से काबिज है.इस आदेश के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के अन्दर कथित परिसर खाली कर दें। आदेश की अवहेलना करने पर अथवा आदेश न मानने की दशा में श्री / श्रीमती / कुमारी / श्याम सोनी के विरूद्ध बल प्रयोग कर वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) को खाली करवाया जायेगा जिसमें होने वाले समस्त खर्च के वहन का दायित्व श्री / श्रीमती / कुमारी / श्याम सोनी पर होगा।

अनुसूचि

कम्पनी की भूमि में अवैध रूप से निवासरत होने के कारण व्यवधान पैदा होना।

दिनॉक.

8/8/25

सम्पदा अधिकारी
सम्पदा न्यायालय
उ0क्षे0 नौरोजाबाद

संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

11/8/25

55

(3)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24-25 / 692 दिनांक-12.08.25

नोटिस
(फार्म-ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) -पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति चन्द्र प्रकाश आत्मज रामस्नेह
पुलिस थाना के पास बजारपुरा, नौरोजाबाद
रेलवे लाईन के किनारे

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।

02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थित पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण मे मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक-23/08/25 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण मे मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक-23/08/25को समय.05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः- आप दिनांक-22/08/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय.05:00बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

(हस्ताक्षर) 08.08.25
सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला-उमरिया (म0प्र0)
पिन कोर्ड-484555

संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि-
01- कार्यालय प्रति।

चन्द्रप्रकाश सोनकर
16-8-2025

(56)

Scanned with OKEN Scanner

1

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल/जो0/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24-25/1011 दिनांक- 17/10/2024

नोटिस

(फार्म-ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) -पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री/श्रीमति अयोध्या आत्मज नंदू बरई
अकबरपुरा नौरोजाबाद

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्त्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थित पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक 22-10-2024 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक 22-10-2024 को समय शाम पांच बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति मे प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोट:- आप दिनांक 22-10-2024 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय शाम पांच बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

(हस्ताक्षर) 17/10/24

सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला-उमरिया (म0प्र0)
पिन कोड-484555

अयोध्या

प्रतिलिपि-
01- कार्यालय प्रति।

(1)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी

एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 693 दिनांक–12.08.25

नोटिस

(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति श्री- सुरेश प्रसाद सोनी

बजारपुरा नौरोजाबाद

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।

02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक–23/08/25 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यो न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारमूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक–23/08/25को समय05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

- एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक–23/08/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:02 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

12/08/25

सम्पदा अधिकारी

एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र

नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)

पिन कोर्ड–484555

संपदा अधिकारी

एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र

पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि–

01– कार्यालय प्रति।

एक प्रति प्राप्त किया

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 485 दिनांक–31/07/25

नोटिस

(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमती नूरजहाँ बाजार मुहल्ला

नौरोजाबाद

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत है कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।

02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण मे मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक–10/8/25 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक–11/8/25 को समय 05 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक–11/8/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिन कोड–484655

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

नाला वार्ड मिला नोटिस चस्पा किया

(59)

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी, एसईसीएल उपक्षेत्र नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

क्रमांक 402(A) दिनांक 12.08.2025

नोटिस

(फार्म – ए)

अन्तर्गत धारा 4 उपधारा(1) एवं उपधारा (2) खण्ड बी (ब)–पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन आफ अनआर्थराईज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमती / कुमारी महेश पटेल

बाजारपुरा नौरोजाबाद

जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय / अभिमत है कि आप निम्न अनुसूची में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) में अनाधिकृत रूप से बेजा काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01. एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02. कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मै आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक 23/8/25 ......को या उसके पूर्व कारण बताए कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए।
और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (ब) के अनुसरण में मै आपको यह आदेश देता हूँ कि आप स्वयं या सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि सम्बंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक 23/8/25 को समय 05:00 ....बजे मेरे समक्ष न्यायालय में व्यक्तिगत / अधिकृत अभिभायाक जिनको इसके सम्बंध में पूरी जानकारी हो सुनवाई हेतु उपस्थित हों। यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपरिथत रहने में आप असफल रहते है / होते है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णीत किया जायेगा।

अनुसूचि

कम्पनी की भूमि में अवैध रूप से रहने के कारण व्यवधान पैदा होना।

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक , जोहिला क्षेत्र
2. अनुविभागीय अधिकारी, उमरिया / पाली / नौरोजाबाद
3. तहसीलदार नौरोजाबाद
4. सम्पदा प्रभारी,नौ0उ0क्षे0
5. थाना प्रभारी / निरीक्षक नौरोजाबाद
6. कार्यालय प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर) 08.08.25

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

(मुहर: न्यायालय सम्पदा अधिकारी एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद)

सुरेश पटेल
16/8/2025

(60)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल/जो0/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24-25/702 दिनांक-

नोटिस
(फार्म-ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) -पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री/श्रीमति कयूम खान
बाजारपुरा नौरोजाबाद
जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से वेदखल किया जाना चाहिए।

आधार
01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक-23/8/25 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको वेदखली का आदेश क्यों न दिया जावे, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक-23/8/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोट:- आप दिनांक-23/8/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला-उमरिया (म0प्र0)

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि-
01- कार्यालय प्रति।

16-8-2025

(61)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमाकं एसईसीएल/जो0/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24–25/277 दिनांक– 04/06/2025

नोटिस
(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री/श्रीमति ओमेश्वर पांडे s/o जय प्रकाश पांडे
रेलवे लाईन किनारे बजारपुरा नौरोजाबाद
जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01,एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02,कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक–15/05/2025 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक–24/06/25को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक–24/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

04/06/25
सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.)
पिन कोड–484555

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

9/06/25

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 282 दिनांक– 04/06/2025

नोटिस
(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति लखन लाल गुप्ता आत्मज– बाबूलाल गुप्ता
रेल्वे लाईन के किनारे बाजार पुरा, नौरोजाबाद
जिला – उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार
01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थित पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक– 12/11/2024 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो, का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक– 20/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक– 20/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

04/06/25

सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म0प्र0)
पिन कोड–484555

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

लखन लाल गुप्ता

(3)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस०ई०सी०एल०, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल/जो0/सम्पदा अधि./उक्षेत्र/नौउक्षे/24-25/276 दिनांक- 04/06/2025

नोटिस

(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एवं उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रिमिसेस (एविक्शन ऑफ अनआथराइज्ड आक्यूपेन्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री/श्रीमति मो० इसरार s/o स्व० अनवर
रेल लाईन किनारे, बजारपुरा नौरोजाबाद
जिला – उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत है कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक–15/05/2025 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जावे, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक–24/06/25को समय 05:00 बजे मेरे समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक–24/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

04/06/25
सम्पदा अधिकारी
सम्पदा अधिकारी उपक्षेत्र
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जि. उमरिया (म.प्र.)
पिन कोड–484555

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

(64)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 694 दिनांक–12.08.25

नोटिस
(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति राजेन्द्र गुप्ता
वार्ड नं – 7 बाजारपुरा

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत है कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रानिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थित पैदा होना।

अत अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक–23/08/25 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मै आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक–23/08/25 को समय 05.00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोट:– आप दिनांक–23/08/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रुप से उपस्थित हों।

(हस्ताक्षर) 12/08/25
सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिन कोड–484555

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

(मुहर) न्यायालय सम्पदा अधिकारी एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

अर्चना गुप्ता
16-8-2025

(65)

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी, एसईसीएल उपक्षेत्र नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

मांक 315 दिनॉक 12/06/25

नोटिस

(फार्म – ए)

अन्तर्गत धारा 4 उपधारा(1) एवं उपधारा (2) खण्ड बी (V)–पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन आफ अनआथराईज आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

ति,

श्री / श्रीमती / कुमारी महताब अली

बाजारपुरा नौरोजाबाद

जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय / अभिमत है कि आप निम्न अनुसूची में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) में अनाधिकृत रूप से बेजा काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01. एस.ई.सी.एल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना

02. कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मै आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनॉक 21/10/24 ......को या उसके पूर्व कारण बताए कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए।

और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (V) के अनुसरण में मै आपको यह आदेश देता हूँ कि आप स्वयं या सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि सम्बंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य सहित दिनॉक 27/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे समक्ष न्यायालय में व्यक्तिगत / अधिकृत अभिभायाक जिनको इसके सम्बंध में पूरी जानकारी हो सुनवाई हेतु उपस्थित हो। यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते है / होते है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णीत किया जायेगा।

अनुसूचि

कम्पनी की भूमि में अवैध रूप से रहने के कारण व्यवधान पैदा होना।

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक , जोहिला क्षेत्र
2. अनुविभागीय अधिकारी, उमरिया / पाली / नौरोजाबाद
3. तहसीलदार नौरोजाबाद
4. सम्पदा प्रभारी,नौ0उ0क्षे0
5. थाना प्रभारी / निरीक्षक नौरोजाबाद
6. कार्यालय प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर) 12/06/25
संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल.नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

(मुहर: न्यायालय सम्पदा अधिकारी एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र)

नोटिस लेने से इन्कार किया नोटिस चस्पा किया गया
(हस्ताक्षर)

66

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस०ई०सी०एल०, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो० / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24-25 / 316 दिनांक- 12/06/25

नोटिस
(फार्म-ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) -पब्लिक प्रिमिसेस
(एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति फूलन सोनी
बाजार पुरा नौरोजाबाद
जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय / अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार
01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक- 21/10/24 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यो न दिया जावे, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक-27/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः- आप दिनांक-27/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
सम्पदा अधिकारी उपक्षेत्र
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र(म०प्र०)
पो.नौरोजाबाद जि.उमरिया(म.प्र.)

प्रतिलिपि-
01- कार्यालय प्रति।

Today 13-6-25

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 318 दिनांक– 12/06/25

नोटिस
(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रिमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति नटराज गुप्ता
बाजारपुरा, नौरोजाबाद
जिला – उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार
01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूं कि आप दिनांक– 17/10/24 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक– 03/07/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक– 03/07/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

12/06/25
सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद (म0प्र0)

[Stamp: सम्पदा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र, पो.नौरोजाबाद, जि. उमरिया (म.प्र.)]

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

17/6/25

68

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल/जो0/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौंउक्षे/24-25/313 दिनांक- 12/06/25

नोटिस
(फार्म-ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) -पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971.

प्रति,
श्री/श्रीमति अमर पटेल बाजारपुरा
नौरोजाबाद

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार
01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक-22/11/24 ... को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जावे, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक-27/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः- आप दिनांक-27/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र

[Stamp: सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र ... (म0प्र0)]

प्रतिलिपि-
01- कार्यलय प्रति।

(69)

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी, एसईसीएल उपक्षेत्र नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

कमांक एसईसीएल/सम्पदाअधि./उक्षे9/नौउक्षे/24-25/1123 दिनॉक 03.02.25

आदेश

(फार्म – बी)

अन्तर्गत धारा 5 उपधारा (1) पब्लिक पेमिसेस
(एविक्शन आफ अनअर्थराईज आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

मेरी, अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कारणो के आधार पर संतुष्ट हूँ कि श्री / श्रीमती / कुमारी असफाक खान उर्फ बबलू .... नीचे अनुसूची में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक पेमिसेस) में अनाधिकृत रूप से काबिज है।

कारण

आराजी खसरा नम्बर 699 .... रकबा 1.242 .... के जुज भाग 10×10 वर्ग फीट .... में अनाधिकृत रूप से कब्जा करके निवासरत रहना।

अतः अधिनियम की धारा 5 उपधारा (1) द्वारा मुझे प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मै एतद् द्वारा आदेश देता हूं कि श्री / श्रीमती / कुमारी असफाक खान एवं अन्य सभी सम्बंधित व्यक्ति जो कथित परिसर या उसके किसी भाग में अनाधिकृत रूप से काबिज है,इस आदेश के प्रकाशन की तिथिं के 15 दिवस के अन्दर कथित परिसर खाली कर दें। आदेश की अवहेलना करने पर अथवा आदेश न मानने की दशा में श्री / श्रीमती / कुमारी / असफाक ...... के विरूद्ध बल प्रयोग कर वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) को खाली करवाया जायेगा जिसमें होने वाले समस्त खर्च के वहन का दायित्व श्री / श्रीमती / कुमारी / असफाक .... पर होगा।

अनुसूचि

कम्पनी की भूमि में अवैध रूप से निवासरत होने के कारण व्यवधान पैदा होना।

01/02/25

दिनॉक

सम्पदा अधिकारी
सम्पदा न्यायालय
उ0क्षे0 नौरोजाबाद

संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद जि.उमरिया (म.प्र.)

04/02/2025

(70)

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

कमाकं एसईसीएल / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 1122 दिनांक–03.02.25

प्रति,

आशु गुप्ता S/o बच्चीलाल गुप्ता
रेल्वे लाईन किनारे बाजार पुरा नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म०प्र०)

विषयः– लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत्।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 212 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक 25/12/2024 को आदेश पारित किया गया था। फॉर्म बी आदेश कमांक 24-25/1576 दिनांक 25-12-2024 द्वारा आपको दिनांक 25-01-2025 से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत में द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 10.02.2025 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन–प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जो एवं खर्चों की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

न्यायालय
01/02/25

सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0–नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड–484555 । एस ई सी एल.

संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद

बच्चीलाल

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय/कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र
एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

क्रमांक एसईसीएल/सम्पदा अधि./सक्षेप्र/नौउक्षे/24–25/565 दिनांक–10.07.25

प्रति,
संगमलाल गुप्ता
रेल्वे लाईन के किनारे बाजारपुरा नौरोजाबाद
जिला – उमरिया (म.प्र.)

विषयः– लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत्।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 207 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक–21.03.2025 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश कमांक–24.25/2191 दिनांक–21.03. द्वारा आपको दिनांक–29/7/25 से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यो में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत में द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक–.................तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जो एवं खर्चो की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

न्यायालय

10/07/25

सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0–नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड–484556

17/07/25
11:35 time

(72)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय/कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

क्रमांक एसईसीएल/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24–25/569 दिनांक--10.07.25

प्रति,
फूलचन्द खवीक
रेल्वे लाईन किनारे बाजारपुरा नौरोजाबाद
जिला- उमरिया (म.प्र.)

विषयः– लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा वेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा वेदखली बावत्।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 207 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक–21.03.2025 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश कमांक 24-25/2192 दिनांक– 21.03.2025 द्वारा आपको दिनांक–29/07/25 से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत में द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक– 29/07/25 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जो एवं खर्चो की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

न्यायालय

10/07/25

सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0–नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जि. उमरिया (म.प्र.)

फूल चन्द खविकार
17/7/25

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र
एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

क्रमांक एसईसीएल / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 1190 दिनांक–25/11/2024

प्रति,

श्री रामलखन गुप्ता पिता संतोष कुमार गुप्ता
बसाहट बस, नौरोजाबाद जिला–उमरिया (म0प्र0)
सिविल लाईन के पीछे

विषयः– लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत् ।

आप एसईसीएल के स्वनित्व के आराजी खसरा नंबर.. में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक–20-11-2017 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश कमांक–17/1091 A दिनांक–20-11-2017 द्वारा आपको दिनांक–20-11-2017 से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत में द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक–30-11-2024 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जों एवं खर्चों की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

23/11/24

न्यायालय
संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0–नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड–484555 । एस ई सी एल

न्यायालय सम्पदा अधिकारी

74

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र
एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

दिनांक–25/11/2024

कमाकं एसईसीएल / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 1164

प्रति,

श्री रमेश गुप्ता पिता बाबूलाल गुप्ता
बाजारपुरा नौरोजाबाद जिला–उमरिया (म०प्र०)
....

विषयः– लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत्।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 211, 212, 213 एवं 216 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक–31-03-2018 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश कमांक–18/1707 दिनांक–31-03-2018 द्वारा आपको दिनांक–31-03-2018 से बेंदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत में द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक–30-11-2024 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जो एवं खर्चों की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

न्यायालय 13/11/24
संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0–नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड–484555 । एस ई सी एल

नोट– नोटिस लेने से इनकार किया नोटिस चस्पा किया

75

न्यायालय/कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र
एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

कमाकं एसईसीएल/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24--25/1167 दिनांक 25/11/2024

प्रति,

श्री तेजा लालवानी आत्मज बसंत लालवानी
बाजारपुरा, नौरोजाबाद जिला-उमरिया (म0प्र0)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद

विषयः– लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत्।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 211, 212, 213 एवं 216 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक–31-03-2018 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश कमांक–18/1710 दिनांक–31-03-2018 द्वारा आपको दिनांक–31-03-2018 से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यो में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत में द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक–30-11-2024 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जो एवं खर्चो की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

23/11/24

न्यायालय
संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)
सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0--नौरोजाबाद, जिला -उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड -484555

न्यायालय सम्पदा अधिकारी एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद

तेजा

76

न्यायालय/कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

क्रमांक एसईसीएल/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24–25/1166

दिनांक 25/11/2024

प्रति,

श्री लल्लू कोल आत्मज बरेदी कोल
बाजारपुरा नौरोजाबाद जिला-उमरिया
(म०प्र०)

विषयः– लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत्।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 211, 212, 213 एवं 216 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस ज़ारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक 31-03-2018 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश क्रमांक 18/1709 दिनांक 31-03-2018 द्वारा आपको दिनांक 31-03-2018 से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत में द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 30-11-2018 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जो एवं खर्चो की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

23/11/24

न्यायालय
संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)
सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0–नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड–484555। एस ई सी एल.

लल्लू कोल

(न्यायालय सम्पदा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद)

(77)

न्यायालय/कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र
एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

क्रमांक एसईसीएल/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24–25/1168 दिनांक–25/11/2024

प्रति,
श्री पूरनलाल जायसवाल आत्मज सुग्रीम जायसवाल
बाजारपुरा नौरोजाबाद जिला- उमरिया (म०प्र०)
....

विषयः-- लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत्।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 211, 212, 213 एवं 216 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस ज़ारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक 31-03-2018 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश कमांक 18/1708 दिनांक 31-03-2018 द्वारा आपको दिनांक–.................से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत में द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 30-11-2018 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जो एवं खर्चों की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरुद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

23/11/24

न्यायालय
संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)
सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0- नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड- 484555। एस ई सी एल.

(78)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 566 दिनांक–10.07.25

नोटिस

(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रिमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति तब्बसुम बानो बाजारपुरा
नौरोजाबाद

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक–28/7/25 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक–29/7/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक–29/7/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय शाम 05 बजे अनिवार्य रुप से उपस्थित हों।

सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

प्रा0 तब्बसुम
17/7/25
12:00 PM

(79)

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी, एसईसीएल उपक्षेत्र नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

क्रमांक 319

दिनॉक 12/06/25

नोटिस

(फार्म – ए)

अन्तर्गत धारा 4 उपधारा(1) एवं उपधारा (2) खण्ड बी (प)–पब्लिक प्रेमिसेस (एविक्शन आफ अनअर्थराईज आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

न्यायालय सम्पदा अधिकारी एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र

प्रति,

श्री / ~~श्रीमती~~ / ~~कुमारी~~ दीपू आत्मज

शासकीय अस्पताल के पास बजारपुरा नौरोजाबाद

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय/अभिमंत है कि आप निम्न अनुसूची में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) में अनाधिकृत रूप से बेजा काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01. एस.ई.सी.एल. कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।

02. कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा करना।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मै आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनॉक 02/11/24 ......को या उसके पूर्व कारण बताए कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए।

और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (प) के अनुसरण में मै आपको यह आदेश देता हूँ कि आप स्वयं या सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि सम्बंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य सहित दिनॉक 03/07/25 को समय 05:00 ......बजे मेरे समक्ष न्यायालय में व्यक्तिगत / अधिकृत अभिभायाक जिनको इसके सम्बंध में पूरी जानकारी हो सुनवाई हेतु उपस्थित हो। यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते है/होते है तो ऐसी स्थिति मै प्रकरण एक पक्षीय निर्णीत किया जायेगा।

अनुसूचि

कम्पनी की भूमि में अवैध रूप से रहने के कारण व्यवधान पैदा होना।

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक , जोहिला क्षेत्र
2. अनुविभागीय अधिकारी, उमरिया/पाली/नौरोजाबाद
3. तहसीलदार नौरोजाबाद
4. सम्पदा प्रभारी,नौ0उ0क्षे0
5. थाना प्रभारी/ निरीक्षक नौरोजाबाद
6. कार्यालय प्रतिलिपि

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र

(80)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 567 दिनांक–10.07.25

नोटिस

(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति गुलाम नबी S/o अंजर आलम

बाजार चुआ नौरोजाबाद

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।

02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा. 4. उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूं कि आप दिनांक– 28/7/25 ... को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक–29/7/25...को समय.05:00... बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक 29/7/25....को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय..05:00.बजे अनिवार्य रुप से उपस्थित हों।

10/07/25

सम्पदा अधिकारी

एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र

नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.)

(सम्पदा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.))

प्रतिलिपि–

01– कार्यालय प्रति।

17/7/25

12:00 AM

(81)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल/जो0/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24–25/568 दिनांक 10.07.25

नोटिस

(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री/श्रीमति सत्यनारायण S/O राम अवतार
रेल्वे लाईन किनारे बाजारपुरा नौरोजाबाद
जिला – उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण मे मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक– 01/8/25 ..... को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, औार अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण मे मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक 01/08/25 को समय... 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों. यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक– 01/8/25 .... को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

10/07/25
सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

17/7/25

(82)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस०ई०सी०एल०, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24-25 / 285 दिनांक- 04/06/2025

नोटिस

(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971 :

प्रति,

श्री / श्रीमति सीताराम कोरी पि० स्व० मनीराम
रेल लाईन किनारे, बाजारपुरा नौरोजाबाद
जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक- 03/05/25 ... को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक- 20/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक- 20/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

(हस्ताक्षर) 4/06/25
सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद जिला- उमरिया (म0प्र0)

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

(मुहर: न्यायालय सम्पदा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र)

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

Received
Amit
09/06/2025

न्यायालय सम्पदा अधिकारी

एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

(3)

क्रमांक एसईसीएल/जो0/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24-25/274 दिनांक- 04/06/2025

नोटिस

(फार्म-ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) -पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री/श्रीमति बलराम पांडे S/o [illegible] पांडे

[illegible] नौरोजाबाद

जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।

02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक- 15/05/2025 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जावे, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक- 24/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः- आप दिनांक- 24/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

04/06/25

सम्पदा अधिकारी

एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र (म.प्र.)

एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र

नौरोजाबाद, जिला-उमरिया (म0प्र0)

पिन कोड-484555

न्यायालय सम्पदा अधिकारी एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र

प्रतिलिपि-

01- कार्यालय प्रति।

बलराम पाण्डेय

(84)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24-25 / 275 दिनांक- 04/06/2025

नोटिस
(फार्म-ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) -पब्लिक प्रमिसेस
(एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति कामलेश अहिरवार S/o नाथूलाल अहिरवार
निवासी वार्ड किनारे बाजारपुरा, नौरोजाबाद
जिला- उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार
01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक- 06/12/24 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक-24/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः- आप दिनांक-24/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे
अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

04/06/25
सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला-उमरिया(म0प्र0)

प्रतिलिपि-
01- कार्यालय प्रति।

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24-25 / 280 दिनांक- 04/06/2025

नोटिस

(फार्म-ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) -पब्लिक प्रिमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति नेकराम चौधरी S/O नन्हेलाल
रेल लाईन किनारे, बाजारपुरा नौरोजाबाद
जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत है कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक- 15/05/2025 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक- 20/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः- आप दिनांक- 20/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

04/06/25
सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म0प्र0)
पिन कोर्ड-484555

प्रतिलिपि-
01- कार्यालय प्रति।

संलग्नक प्रति

(86)

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी, एसईसीएल उपक्षेत्र नौरोजाबाद, जिला
उमरिया म0प्र0

दिनॉक 04/06/2025

कमांक 273

नोटिस

(फार्म – ए)

अन्तर्गत धारा 4 उपधारा(1) एवं उपधारा (2) खण्ड बी (प)–पब्लिक प्रेमिसेस
(एविक्शन आफ अनअर्थराईज आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमती / कुमारी रिमजुल एक्ट 0 सत्तार अली
रेल्वे लाईन किनारे बाजारपुरा नौरोजाबाद
जिला- उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय / अभिमत है कि आप निम्न अनुसूची में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) में अनाधिकृत रूप से बेजा काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01. एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।
02. कंपनी लोक परिसर मे अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होगा।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मै आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनॉक 06/12/24 ......को या उसके पूर्व कारण बताए कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए।

और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (प) के अनुसरण में मै आपको यह आदेश देता हूँ कि आप स्वयं या सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि सम्बंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य सहित दिनॉक 24/06/25 को समय 05:00 ......बजे मेरे समक्ष न्यायालय में व्यक्तिगत / अधिकृत अभिभायाक जिनको इसके सम्बंध में पूरी जानकारी हो सुनवाई हेतु उपस्थित हो। यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते है / होते है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णीत किया जायेगा।

अनुसूचि

कम्पनी की भूमि में अवैध रूप से रहने के कारण व्यवधान पैदा होना।

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक , जोहिला क्षेत्र
2. अनुविभागीय अधिकारी, उमरिया / पाली / नौरोजाबाद
3. तहसीलदार नौरोजाबाद
4. सम्पदा प्रभारी,नौ0उ0क्षे0
5. थाना प्रभारी / निरीक्षक नौरोजाबाद
6. कार्यालय प्रतिलिपि

04/06/25
संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल.नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद,जि.उमरिया (म.प्र.)

(न्यायालय सम्पदा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र — seal)

Rimzul Begum

87

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र
एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

क्रमांक एसईसीएल / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 691 दिनांक–12.08.25

प्रति,
कैलाश कोल
रेलवे लाईन किनारे बजारपुरा नौरोजाबाद
जिला – उमरिया (म.प्र.)

विषयः– लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत्।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 207 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक–21.03.2025 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश कमांक 24-25/2180 दिनांक–21.03.2025 द्वारा आपको दिनांक–23/08/25 से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत में द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक–23/08/25 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जो एवं खर्चो की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

न्यायालय

08/08/25

सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0–नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड 484555 एस.ई.सी.एल.

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

16/8/2025

(88)

न्यायालय/कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र
एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

दिनांक–

क्रमांक एसईसीएल/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24–25/1287A

न्यायालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद

प्रति,

श्री आफताब खान आत्मज जब्बार खान
रेल्वे लाईन किनारे, बजारपुरा नौरोजाबाद
जिला – उमरिया (म.प्र.)

विषयः-- लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत्।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 207 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का वेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक–02-12-2024 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश क्रमांक–2024/1228 दिनांक–02-12-2024 द्वारा आपको दिनांक–17-12-2024 (15 दिवस) से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत में द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक–20-12-2024 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जों एवं खर्चों की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

न्यायालय

(हस्ताक्षर) 11/12/24

सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0–नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड 484555। एस ई सी एल.

संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

(89)

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

क्रमाकं एसईसीएल / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 272 दिनांक– 04/06/2025

प्रति,

दीपक सितलानी
रेल्वे लाइन किनारे बजारफ्या नौरोजाबाद
जिला– उमरिया (म.प्र.)

विषयः– लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत् ।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 207 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक– 21.03.2025 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश कमांक– 24-25/2190 दिनांक– 21.03.2025 द्वारा आपको दिनांक– 21.03.2025 से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत में द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 20-06-2025 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमे होने वाले समस्त हर्जा एवं खर्चो की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

04/06/25

न्यायालय
संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद जि.उमरिया (म.प्र.)
सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0– नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड 484555 एस ई सी एल

Deepak
9.6.2025
11-35

(90)

न्यायालय/कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र
एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

दिनांक– 04/06/2025

क्रमांक एसईसीएल/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24–25/270

प्रति,
नसीम मोहम्मद
रेलवे लाइन किनारे आजादपुरा नौरोजाबाद
जिला– उमरिया (म.प्र.)

विषयः– लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत्।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 207 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक–21.03.2025 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश क्रमांक–24-25/2194 दिनांक– 21.03.2025 द्वारा आपको दिनांक–21.03.2025 से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत मैं द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 20/06/25 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जो एवं खर्चों की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

04/06/25
न्यायालय

सम्पदा अधिकारी, नौरोजाबाद उपक्षेत्र
सम्पदा अधिकारी
उपक्षेत्रीय एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद
पो0–नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड 484555 । एस ई सी एल

नसीम मोहम्मद
9-6-2025

(91)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 320 दिनांक– 12/06/25

नोटिस
(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रिमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 19

प्रति,

श्री / श्रीमति ...राजा...

शासकीय अस्पताल के सामने बजारपुरा
जिला – उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत है कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थित पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण में मैं, आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक–02/11/24..... को या उसके पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबंधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक–03/07/25...को समय...05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों. यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति मे प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक–03/07/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय...05:00बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

(हस्ताक्षर) 12/06/25
सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद,जि0उमरिया(म.प्र.)
पिन कोड–484555

(मुहर: न्यायालय सम्पदा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र)

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

राजा
17062025

(92)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र
एसईसीएल, जिला–उमरिया (म0प्र0), पिनकोड–484555

04/06/2025

दिनांक...

क्रमांक एसईसीएल / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 271

प्रति,

राम रतन सोनी
रेलवे लाइन किनारे बाराघुरा नौरोजाबाद
जिला – उमरिया (म॰ प्र॰)

विषयः-- लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7(2) के अन्तर्गत कब्जा बेदखली बावत्।

आप एसईसीएल के स्वमित्व के आराजी खसरा नंबर 207 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है। उक्त आराजीयात का बेदखली अधिनियम के धारा 4 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर इस न्यायालय द्वारा आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपरोक्त आराजी से बेदखली कराने हेतु इस न्यायालय से दिनांक–21.03.2025 को आदेश पारित किया गया था। फार्म बी आदेश कमांक–24-25/2193 दिनांक–21/03/2025 द्वारा आपको दिनांक–21.03.2025 से बेदखली आदेश जारी किया गया। कंपनी की आराजीयात भूमि में अनाधिकृत कब्जा कर कंपनी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत संपदा अधिकारी के हैसियत से मुझ पर अधिरोपित अधिकारों के अंतर्गत मैं द्वारा आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक–20/06/25 तक कंपनी स्वामित्व के आराजीयात भूमि को खाली कर कब्जा प्रबंधन को सौंप दें अन्यथा कंपनी द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत कब्जा खाली करवाया जायेगा, जिसमें होने वाले समस्त हर्जो एवं खर्चों की वसूली आपसे की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। कब्जा रिक्त न किये जाने पर कंपनी एक्ट की धारा 452 के अन्तर्गत आपके खिलाफ दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में आपके विरूद्ध वाद की कार्यवाही की जायेगी।

न्यायालय

04/06/25

सम्पदा अधिकारी नौरोजाबाद उपक्षेत्र
उपक्षेत्रीय कार्यालय नौरोजाबाद,
पो0–नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)
पिनकोड 484555 । एस ई सी एल,

Ramratan
9/06/25

93

न्यायालय सम्पदा अधिकारी

एस०ई०सी०एल०, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल/जो0/सम्पदा अधि./उक्षेप्र/नौउक्षे/24-25/695 दिनांक- 12.08.25

नोटिस

(फार्म-ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) -पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनशथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री/श्रीमति सुखराम प्रजापति

कुदिया थाना के पास बाजार पुरवा

निम्ने वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना।

02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण मे मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक- 23/08/25 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक- 23/08/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः- आप दिनांक- 23/08/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

(हस्ताक्षर) 12/08

सम्पदा अधिकारी

एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र

नौरोजाबाद, जिला-उमरिया (म0प्र0)

संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि-

01- कार्यालय प्रति।

सुखराम प्रजापति

16/08/25

(94)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय / कार्यालय सम्पदा अधिकारी, एसईसीएल उपक्षेत्र नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

क्रमांक एसईसीएल/क्षे./संपदा अधि./उक्षे/नौउक्षे/24-25/2209 दिनॉक 24.03.25

आदेश

(फार्म – बी)

अन्तर्गत धारा 5 उपधारा (1) पब्लिक प्रेमिसेस
(एविक्शन आफ अनआर्थराईज आक्यूपेन्ट्स) एक्ट 1971

मेरी, अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित कारणो के आधार पर संतुष्ट हूँ कि
श्री / श्रीमती / कुमारी राम सेवक विश्वकर्मा ...नीचे अनुसूची में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक पेमिसेस) में अनाधिकृत रूप से काबिज है।

कारण

आराजी खसरा नम्बर 699 रकबा 1.242 के जुज भाग 20 फीट X 20 फीट लगभग में अनाधिकृत रूप से कब्जा करके निवासरत रहना।

अतः अधिनियम की धारा 5 उपधारा (1) द्वारा मुझे प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मै एतद् द्वारा आदेश देता हूं कि श्री / श्रीमती / कुमारी रामसेवक ...एवं अन्य सभी सम्बंधित व्यक्ति जो कथित परिसर या उसके किसी भाग में अनाधिकृत रूप से काबिज है.इस आदेश के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के अन्दर कथित परिसर खाली कर दें। आदेश की अवहेलना करने पर अथवा आदेश न मानने की दशा में श्री / श्रीमती / कुमारी / रामसेवक ...के विरूद्ध बल प्रयोग कर वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) को खाली करवाया जायेगा जिसमें होने वाले समस्त खर्च के वहन का दायित्व श्री / श्रीमती / कुमारी / रामसेवक... पर होगा।

अनुसूचि

कम्पनी की भूमि में अवैध रूप से निवासरत होने के कारण व्यवधान पैदा होना।

दिनॉक

22/03/25

सम्पदा अधिकारी
सम्पदा न्यायालय
ए.उ0क्षे0 नौरोजाबाद

रामसेवक विश्वकर्मा

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

(95)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस०ई०सी०एल०, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो० / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 488   दिनांक– 31/07/25

नोटिस
(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड वी (II) –पब्लिक प्रमिसेस
(एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति राजू जायसवाल S/o [illegible] जायसवाल
पुलिस थाना के पास, नौरोजाबाद बजारपुरा
रेलवे लाइन के किनारे

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत है कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से वेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थिति पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण मे मै आपको आदेश देता हूं कि आप दिनांक– 11/8/25 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको वेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण मे मै आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक– 11/8/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोट:– आप दिनांक– 11/8/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0प्र0)

संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

राजू जायसवाल
1-8-2025

(96)

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस0ई0सी0एल0, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो0 / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 487 दिनांक–31/07/25

नोटिस
(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एंव उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस
(एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्ट्स) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति सुनील गुप्ता S/o गोविन्द गुप्ता
शासकीय अस्पताल के पास, बराडुकरा नौरोजाबाद
जिला – उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थित पैदा होना।

अतः अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण मैं मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक–11/8/25 ...... को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक–11/8/25 को समय 05:00 बजे मेरे संक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं / होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोट:– आप दिनांक–11/8/25 ......को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

31/07/25
सम्पदा अधिकारी
एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद, जिला- उमरिया (म0प्र0)
संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

1-8-25

(97)

Anxx.-09

Website: www.secl.gov.in
CIN : U10102CT1985GO1003161

Fax No. 07653-268223
Email- soenvt.jhl.secl@coalindia.in

Ref. No.: SECL/JOH/Envt/25-26/42

Date: 06.10.2025

Following deliberations are being submitted by SECL Johilla Area against the complaint filed by Shri Kamal Chandani in NGT

1. South Eastern Coalfields Limited (SECL), a Miniratna Subsidiary Company of Coal India Limited is having its operations in 13 areas with a number of Opencast and Underground Coal Mines in different coalfields in Chhattisgarh and Madhya Pradesh States.
2. Johilla Area is one of the areas of SECL situated in Nowrozabad, Umaria district of Madhya Pradesh. There are 5 (five) numbers of Underground and 1(One) Opencast Mines with an annual production of coal below 20 Lakhs Tonnes for year.
3. Imperative to note here that the coal mining activities in Umaria District was started in 1880s and in Nowrozabad since 1940s through various private entities and later by Coal India Limited after nationalization in 1973.
4. Most of the land in Nowrozabad are under the possession of Johilla Area, SECL since nationalization.
5. The complainant Sri Kamal Chandani is an illegal encroacher having its house and business shops along the main road / Bazarpura of Nowrozabad along with many others.
6. The land along the railway track serving the Nowrozabad have also been occupied by such encroachers including the complainant Sri Kamal Chandani.
7. Due to such encroachment along the railway track the movement of railway racks, maintenance of the railway track is getting affected.
8. Several notices have been issued to the encroachers including the complainant Sri Kamal Chandani to vacate the land along the railway track for the smooth movement of rail-racks, but Sri Kamal Chandani has been resorting to all steps not to vacate the encroached area. And this has been going on since long. Copy of notices served is attached as Annexure I.
9. Hence the aver number of coals loaded trucks per day passing through the main road of Bazarpura, Nowrozabad per day in the FY 2024-25 was 54 and in the FY 2025-26 (till July 2025) is 34 only. The descriptive details of the coal transportation is attached as Annexure II.
10. This existing route was also being used for coal transportation before nationalization of the coal mines in Johilla Area. There is no alternative route for coal transportation to the Nowrozabad railway siding. This can be referred on the map.
11. The alternative route as mentioned in the complaint by the complainant Sri Kamal Chandani along the GM Residence merges into a densely populated area having a lot of houses apart from various government service buildings like bank. Post office, Adhar centre, playground, substations, colliery offices, temples etc. This route is having no direct access to the railway siding. Hence this was never envisaged in past or can be proposed for coal transportation and is not at all possible.
12. **Precautionary measures taken to address the mitigation of dust on the coal transportation road and railway siding**

    I. There has been dedicated system of water sprinklers for suppression of dust in railway siding.

06/10/25 06/10/25 06/10/25

98

II. 4 nos. of Truck mounted fogging machine for suppression of dust have been deployed in Johilla Area SECL. In addition to this 10 nos. of fog cannons are under installation at Johilla Area SECL (3 at railway Siding and 7 at Kanchan OC Mine)

III. 4 nos. of CAAQMS for continuous monitoring of ambient air have been installed in the Johilla Area SECL. (Kanchan OC mIne, Pali UG Mine, AHQ Johilla Area, Umaria UG Mine)

IV. Dust barriers have been provided around the railway siding and coal stock area as well..

V. Tarpaulin covered trucks are being used for transportation of coal to the siding

VI. 3 nos. of Road Sweeping machine has been deployed for cleaning of the nearby road of Nowrozabad Railway siding.

VII. There is a total of 32 nos. of fixed water sprinkler for railway siding of SECL Johilla Area along with a pump of 75 HP for supply of water. The sprinklers are being maintained regularly.

Coal Transportation Road

1. All the coal transportation roads leading from the mines of the area to the railway siding are black topped and there is no WBM road in the areas under the jurisdiction of Johilla Area, Nowrozabad.
2. The photographs attached in the complaint cannot be authenticated from this, on the matter of dust generation due to the movement of coal-loaded trucks.

06/10/25
Sub Area Manager,
Nowrozabad Sub Area
SECL, Johilla Area.

6/10/25
Staff Officer (P&P)
SECL, Johilla Area

06/10/25
Nodal Officer (Envt)
SECL, Johilla Area.

99

SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED
(A Mini Ratna Company)
POST BOX NO. 60
Regd. Office: Seepat Road, Bilaspur
Dist.- Bilaspur (CG) 495006
Website: www.secl.gov.in
CIN: U10102CT1985GO1003161

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
Nowrozabad Sub Area, JOHILLA AREA
Post- Nowrozabad
Dist.- Umaria (MP) - 484555.
Phone No. 07653-268277
Fax No. 07653-268223
Email- soenvt.jhl.secl@coalindia.in

Ref. No.: SECL/JOH/Envt/25-26/ 41

Date: 03.10.2025

Production details of mine of Johilla Area in last 5 years

	Kanchan OC Mine	Nowrozabad west UG Mine	Vindhya UG Mine	Pali UG Mine	Umaria UG	Piparia UG	Total
2020-21	592667	86,511	4,36,858	141315	97,500	63,180	1418031
2021-22	748700	91,410	5,09,761	126190	1,07,005	87,100	1670166
2022-23	510760	95065	4,91,124	1,05,654	1,27,300	1,07,762	1437665
2023-24	908106	97504	4,65,290	85,001	1,17,360	80,721	1753982
2024-25	1024880	76,640	4,42,870	70006	1,04,100	89,292	1807788

03.10.2025

Staff Officer (P&P)
Johilla Area SECL

100

प्रबंधक (कार्मिक) एसईसीएल, नौरोजाबाद उपक्षेत्र, जोहिला क्षेत्र–आवेदक/वादी — Annexure-I.

बनाम

श्री कमल चंदानी गैर कर्मचारी बाजारपुरा नौरोजाबाद

दिनांक– 21/10/2024

विषयः– आवेदन पत्र लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1971 के अन्तर्गत।

महोदय,

आवदेक/वादी निवेदन करता है कि–

01– यह कि आवेदक एसईसीएल नौरोजाबाद उपक्षेत्र, जोहिला क्षेत्र में प्रबंधक (कार्मिक) के पद पर पदस्थ है।

02– यह कि आवदेक को नौरोजाबाद में निर्मित कंपनी के आवासों एवं कंपनी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जाधारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सम्पदा अधिकारी के समक्ष आवेदन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

03– यह है कि खसरा कमांक– 212 में कब्जाधारक आवेदक अनाधिकृत रूप से विगत 2 वर्षो से अधिक कंपनी की भूमि पर कब्जारत है और अवैध मकान का निर्माण कर रहा है।

04– यह कि श्री कमल चंदानी द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के कारण कंपनी कर्मचारियों एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा वादी पर यह भी आक्षेय अधिरोपित किया जा रहा है कि वादी द्वारा जानबूझ कर उक्त अनाधिकृत कब्जाधारी के खिलाफ कोई प्रभावकारी कार्यवाही नही की जा रही है।

05– कंपनी सुरक्षा प्रभारी के द्वारा कई बार अतिकम.ाकर्ता को कंपनी भूमि रिक्त करने की हिदायत दी गई और लिाित िाकायत भी किया गया।

06– यह कि उक्त तथ्यों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अवैध रूप से कब्जारत श्री कमल चंदानी गैर कर्मचारी के विरूद्ध कंपनी की जमीन रिक्त कराये जाने के लिये आप माननीय महोदय द्वारा उचित आदेश पारित किया जाये ताकि कंपनी की जमीन से अतिकमण मुक्त हो सके और उसका उपयोग कंपनी कार्यो के लिये हो सके।

Dy PM/NSA Pl. Issue form A

21/10/24

संपदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.)

प्रार्थी

21/10/2024

उप प्रबंधक (कार्मिक)
नौरोजाबाद उपक्षेत्र
एसईसीएल, जोहिला क्षेत्र

101

File No. SECL/JOH/AHQ/P&P/15dated23.08.2025 (Computer No. 2050555)
Generated from eOffice by RAHUL JATAV, MT(ENV)(RJ)-JOHILLA AREA-SECL, MANAGEMENT TRAINEE(ENVIRONMENT), SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED on 03/10/2025 10:14 AM

न्यायालय सम्पदा अधिकारी
एस०ई०सी०एल०, नौरोजाबाद उपक्षेत्र

क्रमांक एसईसीएल / जो० / सम्पदा अधि. / उक्षेप्र / नौउक्षे / 24–25 / 279 दिनांक– 04/06/2025

नोटिस

(फार्म–ए ए)

अन्तर्गत धारा 4उपधारा (1)एवं उपधारा (2) खण्ड बी (II) –पब्लिक प्रमिसेस (एविक्सन ऑफ अनअथराइज्ड आक्यूपेण्टस) एक्ट 1971

प्रति,

श्री / श्रीमति कमल चंदानी
रेल्वे लाईन के किनारे बाजारपुरा, नौरोजाबाद
जिला - उमरिया (म.प्र.)

निम्न वर्णित आधारो पर अधोहस्ताक्षरी की राय /अभिमत हैं कि आप निम्न अनुसूचित में वर्णित लोक परिसर (पब्लिक प्रामिसेस) में अनाधिकृत रुप काबिज है और आपको उक्त परिसर से बेदखल किया जाना चाहिए।

आधार

01.एसईसीएल कंपनी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध कब्जा करना ।
02.कंपनी लोक परिसर में अवैध कब्जा होने से व्यवधान की स्थित पैदा होना।

अतःअधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) के अनुसरण मे मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप दिनांक– 21/10/2024 को या उससे पूर्व कारण बताये कि आपको बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाये, और अधिनियम की धारा 4 उपधारा (2) के खण्ड बी (II) के अनुसरण में मैं आपको आदेश भी देता कि आप स्वंय या सम्यक रुप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो कि संबधित मामले में सभी सारभूत प्रश्नो का उत्तर देने में सक्षम हो आपकी इच्छानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य सहित दिनांक– 24/06/25 को समय 05:00 बजे मेरे सक्षम व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हों, यदि उपरोक्त तिथि व समय में उपस्थित रहने में आप असफल रहते हैं/होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रकरण एक पक्षीय निर्णित किया जायेगा।

अनुसूची

एसईसीएल के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करना।

नोटः– आप दिनांक– 24/06/25 को सम्पदा न्यायालय, नौरोजाबाद उपक्षेत्र समय 05:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

04/06/25

सम्पदा अधिकारी
एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र
नौरोजाबाद (म.प्र.)
पि.न कोड–484555

(Stamp: सम्पदा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद उपक्षेत्र, पो.नौरोजाबाद, जि.उमरिया (म.प्र.))

(Seal: न्यायालय सम्पदा अधिकारी, एस.ई.सी.एल. नौरोजाबाद)

प्रतिलिपि–
01– कार्यालय प्रति।

Gunjan
Received

(102)

File No. SECL/JOH/AHQ/P&P/15dated23.08.2025 (Computer No. 2050555) ... MANAGEMENT TRAINEE(ENVIRONMENT), SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED on 03/10/2025 10:14 AM

उपस्थित

क उपस्थित इस न्यायालय में जवाब प्राप्त।

आपको प्रेषित पत्र क्र०-279/एस.ई.सी.एल./ संपदा अधिकारी/ उप क्षेत्र /नौ. /2024-25 जारी दिनांक 04/06/2025 तथा नोटिस क्र० 867 जारी दिनांक 30/09/2025 के संदर्भ में अनावेदक ने सम्बंधित नोटिस क्र० 279 का जबाब दिनांक 04/06/2025 तथा नोटिस क्र०-867 का जवाब दिनक 08/09/2025 को न्यायालय में प्राप्त हुआ।

आज अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दोनो जवाब / लिखित तर्क का निराकरण किया जा रहा है।

निर्णय दिनांक-

आवेदक कंपनी के आवासों एवं कंपनी की भूमि पर अनाधिकृत कब्जाधारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ संपदा अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कब्जाधारियों को कंपनी की भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है।

अनावेदक अपने जवाब दिनांक- 08/09/2025 को पैराग्राफ 3 में यह स्वीकार किया है की अनावेदक कमल चंदानी जिस भूमि पर काबिज़ है उस सम्बन्ध में उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज जैसे जमीन का पट्टा , पंजीकृत विक्रय विलेख और ना ही कोई ऐसा सहायक दस्तावेज उपलब्ध है जिससे अनावेदक अपना मालिकाना हक साबित कर सके।

इस नयायालय द्वारा ये पाया जाता है की कंपनी की भूमि के आराजी खसरा क्र० 212 में अनावेदक अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के निवासरत है।

अतः इस न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है की अनावेदक कमल चंदानी जो एसईसीएल कंपनी के नौरोजाबाद स्थित भूमि पर अनाधिकृत रूप से काबिज है जिसे पब्लिक प्रेमिसेस (निष्कासन गैर क़ानूनी कब्जाधारी) अधिनियम 1971 की धारा 5 की उपधारा (1) में प्राप्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए आनावेदक कमल चंदानी को यह आदेश देती है कि इस आदेश के 15 दिवस के अंदर कथित परिसर खाली कर दे ऐसा न करने पर इस आदेश की अवहेलना मानी जावेगी जिस दशा में अनावेदक कमल चंदानी के विरुद्ध बल प्रयोग कर वर्णित परिसर (पब्लिक प्रेमिसेस) को खाली करवाया जायेगा। जिसमे होने वाले समस्त खर्च के वहन का ज़िम्मेदार अनावेदक कमल चंदानी की होगी

इस आदेश के साथ फॉर्म -बी जारी किया जाता है

सम्पदा अधिकारी

सम्पदा न्यायालय नौरोजाबाद उपक्षेत्र

103

Annexure II

The corroborative data pertaining to production of coal and transportation of the same to Nowrozabad Siding and through road-sale mode is given below.

Coal Production in Financial Year 2024-25 with different mode of Transportation							
Mine	Production (Te)	Coal transferred to Nowrozabad Siding for Rail mode Dispatch (Te)	Total No. of Trucks required for coal transporation to Railway Siding (Te)/ Day	Transportaion Route through Bazarpura (Yes/No)	Road Sale Mode Transportation (Te)	Total No. of Trucks required for coal transporation by road mode (Te)/ Day	Transportaion Route through Bazarpura (Yes/No)
	A	B	C=(B/30)/365	D	E	F=(E/30)/365	G
Nowrozabad (W) Ug	76,640.00	76,140.00	7	No	0.00	0	No
Pali Ug	70,006.00	53,839.30	5	Yes	19674.78	2	No
Vindhya Ug	4,42,870.00	3,08,713.49	28	No	147951.34	14	Yes
Umaria Ug	1,04,100.00	1,02,183.58	9	Yes	632.36	0	No
Piparia Ug	89,292.00	52,259.82	5	Yes	39667.32	4	No
Kanchan OC	10,31,299.00	7,96,387.09	73	No	227737.97	21	Yes
Total	18,14,207.00	13,89,523.28	127		435663.77	40	

Hence Daily Average Coal Loaded Trucks passing through Bazarpura			
Mine	To Railway Siding	For Road Sale Mode	Total
Nowrozabad (W) Ug	0	0	0
Pali Ug	5	0	5
Vindhya Ug	0	14	14
Umaria Ug	9	0	9
Piparia Ug	5	0	5
Kanchan OC	0	21	21
Grand Total	19	35	54

(104)

Coal Production in Financial Year 2025-26 (upto July-25) with different mode of Transportation							
Mine	Production (Te)	Coal transferred to Nowrozabad Siding for Rail mode Dispatch (Te)	Total No. of Trucks required for coal transporation to Railway Siding (Te)/ Day	Transportaion Route through Bazarpura (Yes/No)	Road Sale Mode Transportation (Te)	Total No. of Trucks required for coal transporation by road mode (Te)/ Day	Transportaion Route through Bazarpura (Yes/No)
	A	B	C=(B/30)/122	D	E	F=(E/30)/122	G
Nowrozabad (W) UG	13,765.00	13,155.00	4	No	0.00	0	No
Pali UG	15,220.00	11,652.35	3	Yes	3822.18	1	No
Vindhya UG	1,800.00	1,602.90	1	No	0.00	0	Yes
Umaria UG	32,900.00	32,903.18	9	Yes	0.00	0	No
Piparia UG	25,650.00	17,588.64	5	Yes	2569.13	1	No
Kanchan OC	3,85,326.00	3,36,752.34	92	No	60744.24	17	Yes
Total	**4,74,661.00**	**4,13,654.41**	114		**67135.55**	19	

Hence Daily Average Coal Loaded Trucks passing through Bazarpura			
Mine	**To Railway Siding**	**For Road Sale Mode**	**Total**
Nowrozabad (W) Ug	0	0	0
Pali Ug	3	0	3
Vindhya Ug	0	0	0
Umaria Ug	9	0	9
Piparia Ug	5	0	5
Kanchan OC	0	17	17
Grand Total	**17**	**17**	**34**

Pahuf

105

Anxr.-10

क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

बाई पास चौक, गोरतरा, बुढार रोड जिला शहडोल 484001(म.प्र.)
Tel./Fax (07652) 248038 / E mail : ropcbshahadol@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

कमांक 1044 क्षे.कार्या/प्रनिबो/2025 शहडोल, दिनांक 07/10/2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)

विषयः-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल बेंच में चलायमान प्रकरण क्रमांक 104/2025 में वायु परिमापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भः-1. बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक 2812 दिनांक 04.09.2025
2. कार्यालय कलेक्टर का आदेश दिनांक 25.09.2025
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल का पत्र क्रमांक 1038, दिनांक 03.10.2025
4. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल का पत्र क्रमांक 1039, दिनांक 03.10.2025

----0000----

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित आदेश/पत्र के विषय "माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल बेंच में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 104/2025 (पूर्व में 334/2025-पी.बी.) (कमल चंदानी विरूद्ध म.प्र. शासन)" में दिनांक 22.07.2025 को पारित आदेश के पालनार्थ दिनांक 06.10.2025 को गठित संयुक्त समिति की उपस्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल की प्रयोगशाला में पदस्थ अमले द्वारा संपादित अद्यतन विधिक परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन रिपोर्ट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः-विधिक परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन रिपोर्ट।
कुल पृष्ठ-01

07.10.25

प्रयोगशाला प्रभारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)

Vicky/D.comp/General/latter

Report by the state Board Analyst

{See Rule 14}

Report no 1241

Date: - 07.10.2025

I here by certify that I (I) B.M. Patel (Jr. Scientist) State Board Analyst duly appointed under section 26 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act. 1981 received on the (II) Day of Monday - 06.10.2025 from (III) Shri. A.K. Sharma (Chemist) of M.P.P.C.B. Shahdol.

The sample was in condition fit for analysis as reported below.

The sample was in condition fit for analysis as reported below.

The legal sample collected on dated 06.10.2025.

Sample Location :- **SECL Johilla Area, District- Umaria**

Ambient sampling point--

Description:-

(I) Near Railway siding, Nowrozabad

(II) Near Main gate, Railway siding, Nowrozabad

(III) Near water filter plant, Main gate

(IV) Near Sub area office, Nowrozabad

S. No	Parameters	Unit	Prescribed Limit (μg/ m³)	I	II	III	IV
01	Particulate Matter (PM10)	μg/ M³	100.0	96.44	118.0	82.06	88.19

Remarks: Observations during monitoring as per Shri. A.K. Sharma (Chemist) :-

1. Weather was cloudy during monitoring.
2. Water sprinkler was running continuously.
3. Road sweeping machine was running continuously.
4. Truck mounted mist type fogger machine running continuously.
5. Near Main gate other public transports are also observed frequently.

The condition of the seal on receipt was as follows:-

1.The sample was received in sealed condition.

2.The analysis was done according to prescribed standard methods of APHA & Indian Standards.

Address
B.M. Patel (Jr. Scientist)
M.P.P.C.B. Shahdol (M.P.)

Signed this on Day of 07 October 2025

To,
Laboratory In charge
M.P. Pollution control board
Shahdol (M.P.)

Signature Board Analyst

Jr. Scientist
M.P. Pollution Control Board
Shahdol

This legal ambient air monitoring report is put up to Regional office R.O. P.C.B. Sdl. with covering letter

Lab Incharge
M.P. Pollution Control Board
Shahdol

(107)

Anxx.-11

Madhya Pradesh Pollution Control Board

Environmental Surveillance Center

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462016 (M.P.)
Ph : 0755-2469180, **Fax** : 0755-2463742, **E-mail** : ercmppcb@nic.in, **Web** : www.erc.mp.gov.in

Real Time Data Acquisition And Monitoring

Custom Report

ıdustry Name : SECL Johilla Area
rom Date: 2025/04/01 00:00:00 To Date : 2025/10/02 10:15:56
ıdustry Status: site_status

Description	CAAQMS_1-PM10_U	CAAQMS_1-PM2.5_U	CAAQMS_1-SO2_U	CAAQMS_1-NOx_U	CAAQMS_1-CO_U
Prescribed Standards	0 - 100	0 - 60	0 - 80	0 - 80	0 - 4
Maximum Data	61.34	41.86	6.37	47.37	1.41
Minimum Data	16.25	0.78	4.96	13.43	0.56
Geometric Mean	42.89	17.99	5.71	34.06	0.91
Median	35.35	15.5	5.98	34.91	0.89
Standard Deviation	11.97	11.74	0.47	6.28	0.18
Maximum Value At Time	2025-04-17	2025-04-24	2025-09-22	2025-04-27	2025-04-26
Minimum Value At Time	2025-04-27	2025-07-05	2025-07-12	2025-04-11	2025-04-16
Valid Data Points	87	87	87	87	67
Total Data Points	185	185	185	185	185
Data Availability %	47.03%	47.03%	47.03%	47.03%	36.22%

Sl No	Time	CAAQMS_1-PM10_U	CAAQMS_1-PM2.5_U	CAAQMS_1-SO2_U	CAAQMS_1-NOx_U	CAAQMS_1-CO_U
1	2025-04-01	58.99	30.48	5.14	34.32	0.83
2	2025-04-02	59.63	30.28	5.11	35.60	0.75
3	2025-04-03	58.85	30.36	5.12	35.35	0.81
4	2025-04-04	59.44	30.18	5.15	35.91	0.71
5	2025-04-05	59.85	29.45	5.26	34.63	0.73
6	2025-04-06	56.90	29.81	5.04	35.47	0.84
7	2025-04-07	60.87	29.81	5.24	34.74	0.86
8	2025-04-08	59.76	30.19	5.30	34.54	0.78
9	2025-04-09	60.09	30.37	5.23	34.66	0.64
10	2025-04-10	57.37	34.40	5.62	13.75	0.66
11	2025-04-11	57.29	34.40	5.62	13.43	0.66
12	2025-04-12	57.29	34.40	5.62	13.43	0.66
13	2025-04-13	57.29	34.40	5.62	13.43	0.66
14	2025-04-14	57.29	34.40	5.62	13.43	0.66

Sl No	Time	CAAQMS_1-PM10_U	CAAQMS_1-PM2.5_U	CAAQMS_1-SO2_U	CAAQMS_1-NOx_U	CAAQM
15	2025-04-15	57.29	34.40	5.62	13.43	0.66
16	2025-04-16	58.53	31.26	5.12	27.36	0.58
17	2025-04-17	61.34	35.63	5.27	34.82	0.94
18	2025-04-18	60.32	26.40	5.14	35.14	1.02
19	2025-04-19	59.44	22.07	5.21	35.43	0.98
20	2025-04-20	59.56	29.94	5.09	34.87	1.07
21	2025-04-21	59.82	29.59	5.07	35.86	1.01
22	2025-04-22	59.66	29.78	5.46	34.58	1.10
23	2025-04-23	59.20	35.52	5.00	35.25	1.22
24	2025-04-24	60.33	41.86	4.99	34.71	1.37
25	2025-04-25	59.85	27.16	5.08	34.99	1.00
26	2025-04-26	16.63	39.35	5.20	47.26	1.41
27	2025-04-27	16.25	39.35	5.20	47.37	1.41
28	2025-04-28	16.25	39.35	5.20	47.37	1.41
29	2025-04-29	16.25	39.35	5.20	47.37	1.41
30	2025-04-30	NA	NA	NA	NA	NA
31	2025-05-01	NA	NA	NA	NA	NA
32	2025-05-02	NA	NA	NA	NA	NA
33	2025-05-03	NA	NA	NA	NA	NA
34	2025-05-04	NA	NA	NA	NA	NA
35	2025-05-05	NA	NA	NA	NA	NA
36	2025-05-06	NA	NA	NA	NA	NA
37	2025-05-07	NA	NA	NA	NA	NA
38	2025-05-08	NA	NA	NA	NA	NA
39	2025-05-09	NA	NA	NA	NA	NA
40	2025-05-10	NA	NA	NA	NA	NA
41	2025-05-11	NA	NA	NA	NA	NA
42	2025-05-12	NA	NA	NA	NA	NA
43	2025-05-13	NA	NA	NA	NA	NA
44	2025-05-14	NA	NA	NA	NA	NA
45	2025-05-15	NA	NA	NA	NA	NA
46	2025-05-16	NA	NA	NA	NA	NA
47	2025-05-17	NA	NA	NA	NA	NA
48	2025-05-18	NA	NA	NA	NA	NA
49	2025-05-19	NA	NA	NA	NA	NA
50	2025-05-20	NA	NA	NA	NA	NA
51	2025-05-21	NA	NA	NA	NA	NA
52	2025-05-22	NA	NA	NA	NA	NA
53	2025-05-23	NA	NA	NA	NA	NA
54	2025-05-24	NA	NA	NA	NA	NA
55	2025-05-25	NA	NA	NA	NA	NA

	Time	CAAQMS_1-PM10_U	CAAQMS_1-PM2.5_U	CAAQMS_1-SO2_U	CAAQMS_1-NOx_U	CAAQMS_1-CO_U
56	2025-05-26	NA	NA	NA	NA	NA
57	2025-05-27	NA	NA	NA	NA	NA
58	2025-05-28	NA	NA	NA	NA	NA
59	2025-05-29	NA	NA	NA	NA	NA
60	2025-05-30	NA	NA	NA	NA	NA
61	2025-05-31	NA	NA	NA	NA	NA
62	2025-06-01	NA	NA	NA	NA	NA
63	2025-06-02	NA	NA	NA	NA	NA
64	2025-06-03	NA	NA	NA	NA	NA
65	2025-06-04	NA	NA	NA	NA	NA
66	2025-06-05	NA	NA	NA	NA	NA
67	2025-06-06	NA	NA	NA	NA	NA
68	2025-06-07	NA	NA	NA	NA	NA
69	2025-06-08	NA	NA	NA	NA	NA
70	2025-06-09	NA	NA	NA	NA	NA
71	2025-06-10	NA	NA	NA	NA	NA
72	2025-06-11	NA	NA	NA	NA	NA
73	2025-06-12	NA	NA	NA	NA	NA
74	2025-06-13	NA	NA	NA	NA	NA
75	2025-06-14	NA	NA	NA	NA	NA
76	2025-06-15	NA	NA	NA	NA	NA
77	2025-06-16	NA	NA	NA	NA	NA
78	2025-06-17	NA	NA	NA	NA	NA
79	2025-06-18	NA	NA	NA	NA	NA
80	2025-06-19	NA	NA	NA	NA	NA
81	2025-06-20	NA	NA	NA	NA	NA
82	2025-06-21	NA	NA	NA	NA	NA
83	2025-06-22	NA	NA	NA	NA	NA
84	2025-06-23	NA	NA	NA	NA	NA
85	2025-06-24	NA	NA	NA	NA	NA
86	2025-06-25	NA	NA	NA	NA	NA
87	2025-06-26	NA	NA	NA	NA	NA
88	2025-06-27	NA	NA	NA	NA	NA
89	2025-06-28	NA	NA	NA	NA	NA
90	2025-06-29	NA	NA	NA	NA	NA
91	2025-06-30	NA	NA	NA	NA	NA
92	2025-07-01	NA	NA	NA	NA	NA
93	2025-07-02	48.26	2.77	5.43	36.55	1.07
94	2025-07-03	48.20	2.89	5.10	35.41	0.88
95	2025-07-04	46.98	1.50	5.37	35.86	0.89

Sl No	Time	CAAQMS_1-PM10_U	CAAQMS_1-PM2.5_U	CAAQMS_1-SO2_U	CAAQMS_1-NOx_U	CAAQMS
96	2025-07-05	47.73	0.78	5.20	34.99	0.84
97	2025-07-06	47.65	0.88	5.27	34.19	0.97
98	2025-07-07	48.37	2.25	5.18	36.11	0.97
99	2025-07-08	47.29	4.03	5.08	35.34	0.95
100	2025-07-09	46.83	3.08	4.98	34.72	0.91
101	2025-07-10	48.06	1.39	5.07	35.20	0.92
102	2025-07-11	47.85	1.05	5.20	34.80	0.88
103	2025-07-12	48.02	0.95	4.96	34.99	0.89
104	2025-07-13	42.48	1.37	5.14	37.04	0.88
105	2025-07-14	NA	NA	NA	NA	NA
106	2025-07-15	37.09	11.47	5.96	35.35	0.85
107	2025-07-16	35.26	7.43	6.26	34.79	0.87
108	2025-07-17	35.19	10.36	6.09	35.28	0.89
109	2025-07-18	35.20	9.91	6.03	34.58	0.89
110	2025-07-19	35.24	14.27	6.09	35.20	NA
111	2025-07-20	35.23	17.06	6.05	35.03	NA
112	2025-07-21	35.23	14.91	6.10	35.06	NA
113	2025-07-22	35.12	16.35	6.09	35.65	NA
114	2025-07-23	35.26	11.74	6.10	34.89	NA
115	2025-07-24	35.18	8.10	6.25	34.37	NA
116	2025-07-25	35.20	7.20	6.20	35.65	NA
117	2025-07-26	35.22	7.94	6.15	35.58	NA
118	2025-07-27	35.20	6.50	6.28	34.91	NA
119	2025-07-28	35.20	6.56	6.05	34.89	NA
120	2025-07-29	35.15	6.38	6.06	35.14	NA
121	2025-07-30	35.20	6.33	5.94	34.77	NA
122	2025-07-31	35.25	7.88	6.09	34.75	NA
123	2025-08-01	35.24	13.75	6.21	35.29	NA
124	2025-08-02	35.22	14.12	6.11	35.20	NA
125	2025-08-03	35.18	16.05	6.09	35.40	NA
126	2025-08-04	35.22	16.51	6.21	34.05	NA
127	2025-08-05	35.24	14.58	5.98	35.84	NA
128	2025-08-06	35.08	16.40	6.22	34.50	NA
129	2025-08-07	35.29	17.74	6.10	35.81	NA
130	2025-08-08	NA	NA	NA	NA	NA
131	2025-08-09	NA	NA	NA	NA	NA
132	2025-08-10	NA	NA	NA	NA	NA
133	2025-08-11	NA	NA	NA	NA	NA
134	2025-08-12	NA	NA	NA	NA	NA
135	2025-08-13	NA	NA	NA	NA	NA
136	2025-08-14	NA	NA	NA	NA	NA

111

	Time	CAAQMS_1-PM10_U	CAAQMS_1-PM2.5_U	CAAQMS_1-SO2_U	CAAQMS_1-NOx_U	CAAQMS_1-CO_U
137	2025-08-15	NA	NA	NA	NA	NA
138	2025-08-16	NA	NA	NA	NA	NA
139	2025-08-17	NA	NA	NA	NA	NA
140	2025-08-18	NA	NA	NA	NA	NA
141	2025-08-19	NA	NA	NA	NA	NA
142	2025-08-20	NA	NA	NA	NA	NA
143	2025-08-21	NA	NA	NA	NA	NA
144	2025-08-22	NA	NA	NA	NA	NA
145	2025-08-23	NA	NA	NA	NA	NA
146	2025-08-24	NA	NA	NA	NA	NA
147	2025-08-25	NA	NA	NA	NA	NA
148	2025-08-26	NA	NA	NA	NA	NA
149	2025-08-27	NA	NA	NA	NA	NA
150	2025-08-28	NA	NA	NA	NA	NA
151	2025-08-29	NA	NA	NA	NA	NA
152	2025-08-30	NA	NA	NA	NA	NA
153	2025-08-31	NA	NA	NA	NA	NA
154	2025-09-01	NA	NA	NA	NA	NA
155	2025-09-02	NA	NA	NA	NA	NA
156	2025-09-03	NA	NA	NA	NA	NA
157	2025-09-04	NA	NA	NA	NA	NA
158	2025-09-05	NA	NA	NA	NA	NA
159	2025-09-06	NA	NA	NA	NA	NA
160	2025-09-07	NA	NA	NA	NA	NA
161	2025-09-08	NA	NA	NA	NA	NA
162	2025-09-09	NA	NA	NA	NA	NA
163	2025-09-10	NA	NA	NA	NA	NA
164	2025-09-11	35.01	12.67	6.23	34.83	0.86
165	2025-09-12	35.00	10.84	6.02	34.68	0.88
166	2025-09-13	35.34	14.94	6.01	34.52	0.90
167	2025-09-14	35.32	18.98	6.15	33.40	0.88
168	2025-09-15	35.12	18.66	6.11	34.60	0.90
169	2025-09-16	35.30	12.73	6.20	35.91	0.87
170	2025-09-17	35.52	15.50	5.99	34.72	0.90
171	2025-09-18	35.15	9.75	6.08	35.63	0.88
172	2025-09-19	35.26	14.85	6.22	34.90	0.89
173	2025-09-20	35.25	13.98	6.16	35.63	0.86
174	2025-09-21	35.47	17.77	6.16	35.83	0.92
175	2025-09-22	35.40	20.92	6.37	35.18	0.90
176	2025-09-23	35.35	18.79	6.36	34.41	0.91
177	2025-09-24	35.24	24.05	6.13	35.82	0.94

Sl No	Time	CAAQMS_1-PM10_U	CAAQMS_1-PM2.5_U	CAAQMS_1-SO2_U	CAAQMS_1-NOx_U	CAAQMS_1-CO_U
178	2025-09-25	35.20	17.90	6.11	34.79	0.90
179	2025-09-26	35.29	12.48	6.16	34.87	0.90
180	2025-09-27	35.09	9.44	6.01	34.81	0.91
181	2025-09-28	35.08	11.38	6.17	35.56	0.92
182	2025-09-29	35.21	15.87	6.05	34.52	0.93
183	2025-09-30	35.42	12.60	6.16	34.44	0.90
184	2025-10-01	35.00	8.87	6.15	34.40	0.89
185	2025-10-02	35.44	6.00	6.13	34.09	0.86

Report Details: SECLJAN | 2025-10-07 10:16:31 | Custom Report

113

OA No. 104/2025(CZ) KAMAL CHANDANI v STATE OF MADHYA PRADESH & ORS.

From : Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Thu, Oct 09, 2025 05:45 PM

Subject : OA No. 104/2025(CZ) KAMAL CHANDANI v STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. 1 attachment

To : harnengt <harnengt@gmail.com>, DM UMARIA <dmumaria@nic.in>, gm johilla secl <gm.johilla.secl@coalindia.in>

Cc : parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

Madam/Sir
Please find enclosed copy of Joint Committee Report filed by MPPCB in Original Application No. 104/2025 (CZ) [NGT PB OA 334/2025] (Kamal Chandani V/s State of Madhya Pradesh) & Ors. This mail may be treated as proof of service.

Regards
Legal Section
MP PCB

JCR NGT PB OA 104-2025.pdf
27 MB